

# 6

## इनपुट टैक्स क्रेडिट [INPUT TAX CREDIT (ITC)]


संक्षिप्त के उद्देश्यों, इनपुट टैक्स क्रेडिट का संदर्भ ITC के रूप में इस अध्याय में किया गया है। इस अध्याय में प्रदत्त धारा संख्याएँ CGST अधिनियम से सम्बन्धित हैं, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है।

### सीखने का परिणाम (Learning Outcomes)

इस अध्याय के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे :

- ❑ ITC से सम्बन्धित विभिन्न शब्द—इनपुट्स, इनपुट सेवाएँ, पूँजीगत माल और अन्य सम्बन्धित शब्दों का क्या आशय है?
- ❑ विभिन्न शर्तों, समय—सारणियों, प्रतिबन्धों और प्रक्रियाओं की विवेचना जो माल या सेवाओं पर ITC लेने में, सामान्य या विशेष परिस्थितियों में लागू होती है।
- ❑ ITC के लिये समर्थ मर्दों की पहचान, और ऐसी मर्दें जिन पर उपलब्ध नहीं हैं।
- ❑ जब कॉमन इनपुट या इनपुट सेवाओं या पूँजीगत माल का प्रयोग कर मुक्त एवं कर योग्य पूर्तियों व्यावसायिक एवं गैर—व्यावसायिक गतिविधियों के लिये किया जाता है, आनुपातिक ITC की अवधारणा।
- ❑ उपर्युक्त प्रावधानों को समझना एवं लागू करना और ITC के उपयोग सम्बन्धी प्रावधानों को GST की गणना के लिये ITC के उपयोग पश्चात देय नकद राशि।

### अध्याय परिदृश्य



#### 1. परिचय (Introduction)

पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में, केन्द्रीय सरकार द्वारा उद्गृहीत अप्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में क्रेडिट व्यवस्था का प्रशासन CENVAT क्रेडिट नियम, 2004 द्वारा किया जाता था, और राजस्तरीय साख व्यवस्था का संचालन सम्बन्धित वैट नियमावली द्वारा होता था।

वैट विधानों के अधीन क्रेडिट राज्य के

अन्दर व्यवहारों सम्बन्धी इनपुट्स और पूँजीगत माल पर उपलब्ध था परन्तु राज्य के बाहर से आने वाले माल/पूँजीगत माल पर स्वीकृत नहीं था जिन पर केन्द्रीय विक्रय देय था। सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 के अधीन इनपुट्स और पूँजीगत माल पर चुकता कर/शुल्क के सम्बन्ध में क्रेडिट उपलब्ध था और सम्पूर्ण भारत में निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को ITC उपलब्ध था।

## TAX CREDITS

माल और सेवाओं के विरुद्ध समेकित क्रेडिट सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के अधीन उपलब्ध थी जिसके कि केन्द्रीय करों सम्बन्धी प्रपाती प्रभाव (कास्केडिंग प्रभाव) को दूर किया जा सके। तथापि, राज्य स्तरीय वैट के कारण साख शृंखला विखण्डित रहती थी, लेकिन केन्द्रीय करों के क्रेडिट का उपयोग राज्यस्तरीय करों के विरुद्ध नहीं किया जा सकता था अथवा *वाइसवरसा*। अन्तर्राज्यीय करों पर चुकता CST का क्रेडिट कहीं भी उपलब्ध नहीं था। इसका प्रभाव करों पर करारोपण कास्केडिंग प्रभाव के रूप में मूल्यवृद्धि में प्रकट होता था।

(GST कर व्यवस्था में निर्बाध क्रेडिट का आश्वासन है जो माल एवं सेवाओं पर सम्पूर्ण पूर्ति शृंखला में (कुछ अपवादों के साथ) उपलब्ध है।) GST कर व्यवस्था में ITC रीढ़ की हड्डी समझी जाती है। वास्तव में, ये ITC के प्रावधान हैं जो शुद्ध रूप से GST को मूल्य सम्वर्धित कर अर्थात् पूर्ति की सम्पूर्ण शृंखला में करों का संग्रहण पूर्ववर्ती चुकता कर के क्रेडिट स्वीकृति पश्चात होता है।

CGST Act का अध्याय V (धारा 16 से 21) और CGST नियम का अध्याय V इनपुट टैक्स क्रेडिट (नियम 36 से 45) में ITC सम्बन्धी प्रावधान हैं। राज्यस्तरीय GST विधानों में ITC के सम्बन्ध में

समरूप प्रावधान दिये गये हैं। इस अध्याय में धारा 16, 17 और 18 की विवेचना<sup>1</sup> की गयी है, जबकि धारा 19, 20 और 21 के अधीन जॉबवर्क और इनपुट सेवाओं सम्बन्धी प्रावधान फाइनल स्तर में पठनीय है। सम्बन्धित धाराओं और नियमों के प्रावधानों को लेकर उनका विश्लेषण किया गया है।

**CGST Act के अधीन ITC के प्रावधानों को IGST Act की धारा 20 के अन्तर्गत IGST के लिये भी लागू किया गया है।**

धारा 16, 17 और 18 के प्रावधानों को समझने से पूर्व, हम कुछ सम्बन्धित परिभाषाओं को समझेंगे :

## 2. प्रासंगिक परिभाषाएँ (Relevant Definitions)

- एजेन्ट का आशय एक व्यक्ति से है, जिसमें शामिल है फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेन्ट, आढ़तिया, डेलक्रेडर एजेन्ट, नीलामकर्ता अथवा अन्य कोई मर्कन्टाइल एजेन्ट, चाहे किसी नाम से जाना जाय, जो माल सेवाओं की पूर्ति या प्राप्ति का व्यवसाय किसी अन्य की ओर से चलाता है। [धारा 2(5)]
- व्यवसाय में शामिल है (Business Includes) :
  - (a) व्यवसाय या कोई व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, वृत्ति, व्यवसाय, साहस, बाजी या उसी प्रकार की कोई अन्य क्रिया—कलाप, चाहे धन कमाने के लिये हो या नहीं हो;
  - (b) उपर्युक्त उपखण्ड (a) के सम्बन्ध में या उसके संयोगिक या सहायक कोई क्रिया—कलाप या व्यवहार;
  - (c) उपर्युक्त उपखण्ड (a) की प्रकृति की कोई गतिविधि या व्यवहार चाहे ऐसे व्यवहार कोई भी परिमाण, आवृत्ति, निरंतरता या नियमितता हो या न हो;
  - (d) व्यवसाय के प्रारम्भ या उसके समापन के सम्बन्ध में पूँजी माल सहित, माल और सेवाओं की पूर्ति या अर्जन;
  - (e) किसी क्लब, एसोसियेशन, सोसाइटी या ऐसे ही लाभों वाली किसी संस्था द्वारा उसके सदस्यों के लिये (किसी अंशदान या प्रतिफल के लिये) कोई प्रावधान;
  - (f) किसी परिसर में किसी प्रतिफल के बदले व्यक्तियों का प्रवेश;
  - (g) किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे पद धारक के रूप में जो उसने अपने व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय के दौरान या उसके अग्रसर के लिये स्वीकार किया है, पूरित की गयी सेवाएँ;
  - (h) किसी घुड़दौड़ क्लब द्वारा (टोटलाईजेटर) को उपलब्ध करायी गयी सेवाएँ या क्लब में बुकमेकर की अनुज्ञप्ति,
  - (i) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार, या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किया गया कोई कार्य—कलाप या संव्यवहार, जिसमें वे लोक प्राधिकारियों के रूप में लगे हुए हैं। [धारा 2(17)]

<sup>1</sup> Provisions of ITC relating to job work and input service distributor [Sections 19, 20 and 21] will be discussed at the Final level.

- **पूँजीगत माल** का आशय माल से है जिसका मूल्य ITC के दावाकर्ता व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में पूँजीकृत किया गया है और उसका प्रयोग या प्रत्याशित प्रयोग व्यवसाय के दौरान या अभ्युदय के लिये है। [धारा 2(19)]
- **सवारी** में शामिल है कोई जलयान, वायुयान या वाहन [धारा 2(34)]
- **करमुक्त आपूर्ति** से आशय माल या सेवाओं की ऐसी पूर्ति से है जिस पर कर की शून्य दर लागू होती है अथवा जो धारा 11 अथवा IGST Act की धारा 6 के अधीन कर से पूर्णतः मुक्त है और इसमें शामिल है गैर कर योग्य पूर्ति [धारा 2(47)]
- **इनपुट** का आशय पूँजी माल को छोड़कर, ऐसे माल से है जिसका पूर्तिकर्ता द्वारा प्रयोग या प्रत्याशित प्रयोग व्यवसाय के दौरान या अभ्युदय में हो [धारा 2(59)]
- **इनपुट सेवाएँ** का आशय पूर्तिकर्ता द्वारा व्यवसाय के दौरान या अभ्युदय में प्रयुक्त या प्रत्याशित उपयोग के लिये किसी सेवा से है [धारा 2(60)]
- **इनपुट टैक्स** का आशय किसी पंजीकृत व्यक्ति के लिये, केन्द्रीयकर, राज्यकर, समग्रकर, या संघ क्षेत्रीय कर से है, जो कि उसको पूरित किसी माल या सेवाओं पर प्रभारित है, और शामिल है :
  - (a) माल के आयात पर वसूल IGST;
  - (b) धारा 9 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के प्रावधानों के तहत देय कर,
  - (c) IGST Act की धारा 5 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के अधीन प्रावधानों के तहत देय कर,
  - (d) सम्बन्धित राज्य के SGST Act की धारा 9 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के प्रावधानों के तहत देय कर,
  - (e) UTGST Act की धारा 7 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के प्रावधानों के तहत,

परन्तु प्रतिलोमी प्रभार के अधीन देय कर शामिल नहीं है। [धारा 2(62)]
- **इनपुट टैक्स क्रेडिट** का आशय इनपुट टैक्स के क्रेडिट से है। [धारा 2(63)]
- **आन्तरिक पूर्ति** का आशय किसी व्यक्ति के लिये माल सेवाओं की पूर्ति से है जो क्रय, अभिग्रहण अथवा अन्य किसी साधन द्वारा प्राप्त की गयी है, जिसका प्रतिफल हो या नहीं हो। [धारा 2(67)]
- **मोटर वाहन** का आशय, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खण्ड (28) में समान दिया गया है। [धारा 2(76)]
 

**(मोटर वाहन अथवा मोटर वाहन अधिनियम (1988) के अधीन वाहन और मोटर वाहन** का आशय किसी यांत्रिक पद्धति से चालित वाहन से है जिसको सड़क पर उपयोग के लिये अंगीकृत किया गया है, चाहे चालक शक्ति का उसमें संचरण आन्तरिक या बाह्य स्रोतों से किया गया है, और इसमें शामिल है ऐसी चैसिस जिस पर बॉडी नहीं जोड़ी गयी है और ट्रेलर; परन्तु ऐसा वाहन शामिल नहीं है जो स्थिर पटरी पर चलता है अथवा कोई विशेष प्रकार का वाहन जो केवल कारखाने या अन्य किसी भवन में उपयोग के लिये अंगीकृत किया गया है अथवा ऐसा वाहन जिसके 4 से कम पहिये हों और जिसकी इंजन

क्षमता 35 क्यूबिक सेन्टीमीटर से अधिक नहीं हो [धारा 2(28)] मोटर वाहन अधिनियम, 1988।

- **गैर निवासी कर योग्य व्यक्ति** का अर्थ किसी भी व्यक्ति से होता है, जो कभी-कभी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति से सम्बन्धित लेन-देन करता है चाहे वह प्रमुख या प्रतिनिधि या अन्य किसी क्षमता में लेकिन जिसके पास भारत में व्यवसाय या निवास का कोई निश्चित स्थान नहीं है। [धारा 2(77)]
- **प्रधान** का आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसकी ओर से कोई एजेंट माल या सेवाओं की प्राप्ति या पूर्ति का व्यवसाय करता है [धारा 2(88)]
- माल या सेवाओं या दोनों की **आपूर्ति** के प्राप्तकर्ता का आशय—
  - (a) जहाँ माल या सेवाओं की पूर्ति के लिये कोई प्रतिफल देय है, वहाँ ऐसे व्यक्ति से है जो ऐसे प्रतिफल के भुगतान के लिये उत्तरदायी है;
  - (b) जहाँ माल की पूर्ति के लिये कोई प्रतिफल देय नहीं है, वहाँ ऐसा व्यक्ति जिसको माल की सुपुर्दगी दी गयी है या उपलब्ध करायी गयी है; और
  - (c) जहाँ किसी सेवा की पूर्ति के लिये कोई प्रतिफल देय नहीं है, वहाँ ऐसा व्यक्ति जिसको सेवाएँ प्रदान की गयी हैं,

ऐसे व्यक्ति का संदर्भ जिसे पूर्ति की गयी है, पूर्ति के प्राप्तकर्ता के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जायेगा और इसके अन्तर्गत पूरित किये गये माल या सेवाओं के सम्बन्ध में प्राप्तकर्ता की ओर से उस रूप में कार्य करने वाला एजेंट भी होगा। [धारा 2(93)]
- **पूर्तिकर्ता** का आशय माल या सेवाओं के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्ति से होगा जो उपर्युक्त माल या सेवाओं की पूर्ति करता है और इसमें शामिल ऐसा कोई एजेंट जो माल या सेवाओं की पूर्ति के सम्बन्ध में, पूर्तिकर्ता की ओर से उस रूप में कोई कार्य करता है। [धारा 2(105)]
- **कर योग्य पूर्ति** का आशय माल या सेवाओं की ऐसी पूर्ति या दोनों से है, जो CGST अधिनियम के तहत कर के लिए उत्तरदायी है। [धारा 2(108)]
- **कार्य अनुबंध** का अर्थ भवन, निर्माण, गठन, प्रेरण, उत्थापन, परिवर्तन या किसी अचल सम्पत्ति के कार्यभार के लिए होता है, जिसमें माल में सम्पत्ति का हस्तांतरण (चाहे माल के रूप में किसी अन्य रूप में) ऐसे अनुबंध के निष्पादन में शामिल हों। [धारा 2 (108)]
- **शून्य दर पूर्ति<sup>2</sup>** आशय माल या सेवाओं या दोनों की निम्नांकित पूर्तियों से है, नामतः :
  - (a) माल या सेवाओं या दोनों का निर्यात; अथवा
  - (b) SEZ विकासकर्ता/इकाई को माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति [IGST Act की धारा 16(1)]

<sup>2</sup> शून्य दर आपूर्ति को फाइनल स्तर पर विस्तृत रूप से बताया जायेगा।

### 3. इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिये ग्राह्यता और शर्तें (धारा 16) [Eligibility and Conditions for Taking Input Tax Credit (Section 16)]

वैधानिक प्रावधान		
धारा 16	इनपुट टैक्स क्रेडिट की ग्राह्यता और शर्तें	
उप-धारा	खण्ड	विवरण
(1)		प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, निर्धारित शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन और धारा 49 में वर्णित रीति से, माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर वसूल किसी इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने का अधिकारी होगा, जिनका प्रयोग या प्रत्याशित उपयोग उसके व्यवसाय के दौरान या अभ्युदय में किया गया है, और ऐसी राशि ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट की जायेगी।
(2)		इस धारा में निहित किसी उल्लेख पर ध्यान नहीं देते हुए, कोई पंजीकृत व्यक्ति ऐसी इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिकारी नहीं होगा जिसका सम्बन्ध माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति से है, जबकि कि :
	(a)	इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत किसी पूर्तिकर्ता द्वारा निर्गमित कोई कर बीजक या डेबिट नोट अथवा अन्य कोई निर्धारित कर भुगतान प्रपत्र उसके अधिकार में नहीं है;
	(b)	उसको माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति प्राप्त हो चुकी है।
		<b>व्याख्या</b> —इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जायेगा कि पंजीकृत व्यक्ति को माल प्राप्त हुआ है या जैसा भी हो, सेवाएं :
	(i)	जहाँ सामान को आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्तकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के निर्देश पर हटाया जाता है। चाहे वह प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा हो, या फिर माल की आवाजाही से पहले या उसके दौरान, या तो माल के लिए शीर्षक के दस्तावेजों के हस्तांतरण के माध्यम से कर रहा हो। अन्यथा;
	(ii)	जहाँ किसी भी व्यक्ति को इस तरह के पंजीकृत व्यक्ति के निर्देश पर और उसके द्वारा आपूर्तिकर्ता को सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
	(c)	धारा 41 के प्रावधानों के अधीन, ऐसी पूर्ति के सम्बन्ध में वसूल कर वास्तव में सरकार को भुगतान कर दिया गया है, नकद रूप में अथवा ऐसी पूर्ति के सम्बन्ध में मान्य इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के द्वारा; और
	(d)	उसने धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत कर दी है।
		उल्लिखित है, किसी बीजक के अधीन माल लाट्स या किस्तों में प्राप्त हुआ है पंजीकृत व्यक्तियों को क्रेडिट का अधिकार, अंतिम किस्त या लाट की प्राप्ति पर ही होगा।
		साथ ही उल्लिखित है कि यदि कोई प्राप्तकर्ता माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकर्ता को भुगतान करने में असफल रहता है, उन पूर्तियों को छोड़कर जिन पर प्रतिलोमी प्रभार के अधीन कर देय है, पूर्ति का मूल्य और उस पर देय कर सहित, पूर्तिकर्ता द्वारा बीजक निर्गमन की तिथि से एक सौ अस्सी दिन के अन्दर, प्राप्तकर्ता द्वारा प्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के बराबर राशि, उसके कर दायित्व में जोड़ दी जायेगी, उस पर ब्याज सहित ऐसी रीति से, जो इस सम्बन्ध में निर्धारित है :

	यह भी उल्लिखित है कि प्राप्तकर्ता इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिकारी होगा, जब वह माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के मूल्य और उस पर देय कर सहित भुगतान उसके द्वारा कर दिया जाता है।
(3)	यदि पंजीकृत व्यक्ति पूँजीगत माल या संयंत्र और मशीनरी की लागत के कर के भाग पर, आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन हास का दावा किया है ऐसे कर के भाग पर इनपुट टैक्स क्रेडिट स्वीकृत नहीं होगा।
(4)	कोई पंजीकृत व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति सम्बन्धी किसी बीजक या डेबिट नोट के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिकारी नहीं होगा, यदि ऐसे बीजक या डेबिट नोट सम्बन्धी वित्त वर्ष के समापन से अगले सितम्बर माह सम्बन्धी विवरणी प्रस्तुत करने की देय तिथि अथवा सम्बन्धित वार्षिक विवरणी की प्रस्तुति की तिथि (जो भी पहले हो) समाप्त हो चुकी है।
<b>अध्याय V : इनपुट टैक्स क्रेडिट CGST नियम</b>	
<b>नियम 36</b>	<b>इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे के लिये प्रपत्रीय साक्ष्य एवं शर्तें</b>
(1)	एक पंजीकृत व्यक्ति, इनपुट सेवा वितरक सहित को इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्राप्ति, निम्नांकित में से किसी एक प्रपत्र के आधार पर उपलब्ध होगी, नामतः :
	(a) माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकर्ता द्वारा धारा 31 के प्रावधानों के अनुसार निर्गमित बीजक;
	(b) धारा 31 की उप-धारा (3) के खण्ड (f) के प्रावधानों के अनुसार निर्गमित कोई बीजक, कर भुगतान के नियम के अधीन
	(c) धारा 34 के प्रावधानों के अनुसार पूर्तिकर्ता द्वारा निर्गमित डेबिट नोट;
	(d) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या उसके अधीन नियमावली के अधीन निर्धारित 'प्रवेश बिल' या समकक्ष प्रपत्र, जिसके अनुसार आयात पर IGST का निर्धारण किया जाता है;
	(e) इनपुट सेवा वितरक द्वारा नियम 54 के उप-नियम (1) के प्रावधानों के अनुसार निर्गमित कोई इनपुट सेवा वितरक का बीजक या इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट नोट अथवा अन्य कोई प्रपत्र।
(2)	पंजीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धि तभी होगी जब अध्याय VI में निर्दिष्ट सभी प्रभावी विवरण, ऐसे प्रपत्र में उल्लिखित हों, और ऐसे प्रपत्र में प्रदत्त सभी सूचनाएँ प्रारूप GSTR-2 <sup>3</sup> में ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी हों।
	Provided that if the said document does not contain all the specified particulars but contains the details of the amount of tax charged, description of goods or services, total value of supply of goods or services or both, GSTIN of the supplier and recipient and place of supply in case of inter-State supply, input tax credit may be availed by such registered person.

<sup>3</sup> Filing of GSTR-2 has been deferred till March 2019.

(3)	किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा ऐसे कर के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा, जिसका भुगतान किसी ऐसे आदेश के अधीन किया गया है, जिसकी कर माँग की पुष्टि जान-बूझ के मिथ्या वर्णन या तथ्यों के छिपाव के कारण की गयी हो।
<b>नियम 37</b>	<b>प्रतिफल के भुगतान में त्रुटि के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी</b>
(1)	ऐसा पंजीकृत व्यक्ति जिसने माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, परन्तु उसके पूर्तिकर्ता को ऐसी पूर्ति का मूल्य उस पर देय कर सहित, धारा 16 की उप-धारा 21(2) के द्वितीय उपबन्ध में निर्दिष्ट समय सीमा के अधीन भुगतान करने में असफल रहता है, बीजक निर्गमन की तिथि से 180 दिन पश्चात् आगामी माह के लिये प्रारूप <b>GSTR-2</b> में ऐसी पूर्ति अदत्त भुगतान की राशि के आनुपातिक इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि के विवरण प्रस्तुत करेगा।
	उल्लिखित है कि प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट पूर्तियों का मूल्य बिना प्रतिफल के होते हुए भी, धारा 16 के उपधारा (2) के उद्देश्यों के लिये चुकता कर दिया माना जायेगा।
	आगे बताया गया है कि धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (b) के प्रावधानों के अनुसार जोड़े गए किसी भी धनराशि के खातों पर आपूर्ति के मूल्य को धारा 16 की उपधारा (2) के द्वितीय प्रावधानों के उद्देश्यों के भुगतान करने हेतु माना जाएगा।
(2)	उप-नियम (1) में संदर्भित इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि को ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के उस माह के आउटपुट टैक्स के दायित्व में जोड़ दिया जायेगा जिसमें कि ऐसे विवरण प्रस्तुत किये गये हैं।
(3)	पंजीकृत व्यक्ति धारा 50 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट दर से ब्याज भुगतान के लिये दायी होगा जिसकी राशि, ऐसी पूर्तियों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने की तिथि से उस तिथि तक की, जिसको ऐसी राशि उप-नियम (2) के अधीन आउटपुट टैक्स की राशि में जोड़ी गयी है, वास्तव में चुकायी जाती है।
(4)	धारा 16 की उप-धारा (4) में निर्दिष्ट समय सीमा, ऐसी किसी टैक्स क्रेडिट को पुनः प्राप्त करने पर लागू नहीं होगी, जोकि इस अधिनियम या इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन, पहले वापस कर ली गयी थी।

### विश्लेषण (Analysis)

#### (i) ITC लेने की ग्राह्यता [धारा 16(1)] [Eligibility for taking ITC [Section 16(1)]]

- (a) **GST के अधीन पंजीयन (Registration under GST)**—माल और/या सेवाओं की आपूर्ति पर प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिकारी होगा। वह माल या सेवाओं के उपयोग सम्बन्धी धारा 49 के प्रावधानों और नियमों में उल्लिखित शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन है।

[धारा 49 में कर, ब्याज, अर्थदण्ड एवं अन्य राशियों के भुगतान सम्बन्धी प्रावधान निर्धारित हैं। इनको विस्तार के साथ, अध्याय—9 : कर भुगतान में विवेचित किया गया है]

(b) माल या सेवाओं का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये उपयोग (Goods/Services to be used for business purposes)—ITC माल और/या सेवाओं की ऐसी पूर्तियों पर उपलब्ध होगी, जिनका उपयोग व्यवसायों के दौरान या अभ्युदय में किया गया है [व्यवसाय की परिभाषा पढ़ें]; माल और/या सेवाओं को व्यवसाय के दौरान या अभ्युदय में “उपयोग करने का अभिप्राय” होने पर भी ITC उपलब्ध होगी। अतः माल और/या सेवाओं की ऐसी पूर्तियों पर चुकता कर, जिनका उपयोग या प्रत्याशित उपयोग, व्यवसाय के दौरान या अभ्युदय में हो, ITC की उपलब्धि के लिये समर्थ है; परन्तु गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये ITC उपलब्ध नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ITC जमा किया जाएगा।

**(ii) ITC लेने की शर्तें [धारा 16(2)] [Condition for taking ITC [Section 6(2)]]**

एक पंजीकृत व्यक्ति ITC के लिये अधिकारी केवल तभी होगा, जब निम्नांकित सभी चारों शर्तें संतुष्ट होती हैं :

(a) कर भुगतान प्रपत्र पर अधिकार [धारा 16(2)(a) के साथ CGST नियमावली के नियम 36 का अध्ययन करने पर] [Possession of tax paying document (Section 16(2)(a) read with rule 36 of the CGST Rules)]

ITC की उपलब्धि, निम्नांकित किसी प्रपत्र के आधार पर हो सकती है :

- (i) माल और/या सेवाओं के पूर्तिकर्ता द्वारा निर्गमित बीजक;
- (ii) प्राप्तकर्ता द्वारा निर्गमित बीजक अपंजीकृत पूर्तिकर्ता से माल या सेवाएँ प्राप्त करने पर प्रतिलोमी प्रभार के मामले में कर भुगतान के साक्ष्य के साथ
- (iii) पूर्तिकर्ता द्वारा निर्गमित डेबिट नोट
- (iv) सीमा शुल्क अधिनियम में निर्धारित प्रवेश बिल या समकक्ष प्रपत्र
- (v) पुनरीक्षित बीजक
- (vi) इनपुट सेवा वितरक द्वारा निर्गमित प्रपत्र<sup>4</sup>

ऐसा प्रपत्र जिसके आधार पर ITC ली जा रही है, इसमें कम-से-कम निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए—

- लगाए गए कर की राशि
- वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी
- वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति का कुल मूल्य
- आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता का GSTIN.
- अन्तर्राज्यीय (interstate) आपूर्ति के मामले में आपूर्ति की जगह

**नोट :** धारा 16 और CGST नियमों में ऐसा निर्धारित नहीं है कि ITC के लिये बीजक की कौन-सी प्रति ही आधार होगी। तथापि, CGST नियम का नियम 48, निर्दिष्ट करता है कि मूलप्रति प्राप्तकर्ता के लिये है। क्रेडिट प्रविष्टि के समर्थन में मूलप्रति को अधिमानी रूप में रिकार्ड में रखना चाहिये। अध्याय-8 : कर बीजक

<sup>4</sup> Concept of Input Service Distributor will be dealt with at the Final level.

क्रेडिट और डेबिट नोट्स ई-वे बिल—में नियम 48 की भी विस्तार से विवेचना की गयी है।

**धोखाधड़ी से जुड़ी मांगों के लिए कर की कोई ITC का भुगतान नहीं** [धारा 36 (3)] : किसी भी आदेश के अनुपालन में भुगतान किया गया कर जहां किसी भी धोखाधड़ी के कारण किसी भी मांग की पुष्टि की गई है, ITC के रूप में तथ्यों का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।

- (b) **माल या सेवाओं की प्राप्ति** [धारा 16(2)(b)] [Receipt of the goods and/or services (Section 16(2) (b))]

ITC लेने वाले व्यक्ति को, माल या सेवाओं की अवश्य प्राप्ति हो चुकी हो।

बीजक प्राप्तकर्ता एवं माल प्राप्तकर्ता मॉडल “Bill to Ship to” Model : इस मॉडल के अन्तर्गत, माल तीसरे पक्ष C को, ग्राहक (पंजीकृत व्यक्ति) - B जो आपूर्तिकर्ता - A से माल खरीदता है, के निर्देशानुसार वितरित किया जाता है। दूसरे शब्दों में A, B को बीजक देता है, लेकिन B के निर्देशानुसार C को माल का वितरण करता है। जिसके प्रभाव में, इस दृश्य में दो आपूर्तियाँ स्थान लेती हैं, जो कि A से B को एवं B से C को है। इस प्रकार, इस मॉडल के अन्तर्गत ग्राहक (पंजीकृत व्यक्ति) जो ऐसे माल को खरीदता है, व्यक्ति माल को प्राप्त नहीं करता है।

ऐसे मामलों के लिए, धारा 16 (2)(b) के व्याख्यान के गुणों के द्वारा यह माना गया है कि पंजीकृत व्यक्ति (ग्राहक) ने माल प्राप्त कर लिया है। दूसरे शब्दों में पंजीकृत व्यक्ति के निर्देशानुसार शीर्षक के प्रपत्रों के हस्तांतरण के द्वारा अन्य व्यक्ति को माल वितरित किया गया अन्यथा चलन के दौरान या पहले ही उस पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माल को प्राप्त मान लिया गया है। इसलिए ITC पंजीकृत व्यक्ति पर उपस्थित होगी, जिसके आदेश पर माल तीसरे पक्ष को वितरित किया गया है।

समान रूप से, सेवाओं को भी सेवा अदाता (आपूर्तिकर्ता) के द्वारा, सेवा प्राप्तकर्ता (पंजीकृत व्यक्ति) के निर्देशों पर तीसरे पक्ष को प्रदान किया जा सकता है। इस मामले में भी, यद्यपि सेवा अहर्ता (पंजीकृत व्यक्ति) सेवा ग्रहण नहीं करता, धारा 16(2) (b) के व्याख्यान के गुणों के द्वारा ऐसा माना जाता है। पंजीकृत व्यक्ति (सेवा प्राप्तकर्ता) ने सेवा प्राप्त कर ली है। दूसरे शब्दों में, पंजीकृत व्यक्ति के निर्देशानुसार या कहे अनुसार, किसी व्यक्ति को प्रदत्त सेवा को ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा प्राप्त सेवा माना जाता है। इसलिए ITC पंजीकृत व्यक्ति पर उपस्थित होगी, जिसके निर्देशों पर तीसरे पक्ष को सेवा प्रदान की गई।



A एक व्यापारी है जिसने B को सोडा आश के प्रेषण के लिये आदेश दिया। A को C से एक क्रय आदेश उतनी ही मात्रा में सोडा आश का प्राप्त हुआ है। A द्वारा B को निर्देश दिया जाता है कि वह C को माल की सुपर्दगी कर दे, और वह C पर बीजक निर्गमित करता है। यद्यपि माल वास्तव में A के भवन में नहीं पहुँचा है, तथापि धारा 16(2)(b) की शर्त पूरी हो जाती है और A प्रेषण पर ITC का अधिकारी है।



ABC प्रा. लि. का पंजीकृत मुख्य कार्यालय (नई दिल्ली), (बेंगलुरु), कर्नाटक में इसके पंजीकृत शाखा कार्यालय में स्थित कम्प्यूटर सिस्टम की मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए नई दिल्ली की DEF प्रा. लि. के साथ एक अनुबंध करती है। DEF प्रा. लि. ABC प्रा. लि. नई दिल्ली पर इसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए बीजक जारी करती है। यद्यपि, वास्तविक सेवाएं शाखा कार्यालय द्वारा प्राप्त की गईं न कि मुख्य कार्यालय द्वारा, धारा 16 (2) (b) ऐसे मरम्मत एवं रख-रखाव सेवाओं के ITC की मुख्य कार्यालय को अनुमति देता है।

- (c) पूर्ति पर कर वास्तव में सरकार को भुगतान कर दिया गया है [धारा 16(2)(c)] [Tax leviable on supply actually paid to Government (Section 16(2)(c))]

Subject to Section 41, tax should actually have been paid, by cash or through utilization of ITC, on the goods and/or services for which ITC is being taken. Section 41 allows taking ITC in electronic credit ledger on self-assessment basis.

- (d) रिटर्न दाखिल करना [धारा 16(2)(d)] [Filing of return (Section 16(2)(d))]

ITC लेने वाले पंजीकृत व्यक्ति को अपनी विवरणी (रिटर्न) धारा 39 के प्रावधानों के अधीन अवश्य दाखिल की जानी चाहिये।

- (iii) लाट्स में माल की प्राप्ति : अन्तिम लॉट की प्राप्ति पर ही ITC उपलब्ध होगी [धारा 16(2) का प्रथम उपबन्ध] [Goods received in lots : ITC available only on receipt of last lot (First proviso to section 16(2))]

जब बीजक में उल्लिखित माल एक साथ प्राप्त नहीं होता है, वरन् किस्तों/लाट्स में प्राप्त होता है, ITC की उपलब्धि अंतिम लॉट या किस्त की प्राप्ति पर ही हो सकेगी।



XYZ enters in to a contract with ABC for supply of 10MT of a chemical for ₹ 1,18,000 (inclusive of GST of ₹ 18,000) in August, 20XX. The chemical is to be delivered in lots over a period of three months. ABC raises the invoice for the entire amount in August and XYZ also makes the payment in the same month but the supply is completed in November. Though XYZ paid the full tax as early as August, it can take the ITC of the same only on receipt of last instalment of the chemical in the month of November.

- (iv) बीजक का भुगतान 180 दिन में किया जाना आवश्यक है [धारा 16(2) के द्वितीय उपबन्ध के साथ CGST नियमावली का नियम 37] [Payment for the invoice to be made within 180 days (Second proviso to section 16(2) read with rule 37 of CGST Rules)]

पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं के मूल्य के साथ GST सहित राशि का भुगतान पूर्तिकर्ता को बीजक निर्गमन की तिथि से 180 दिन के अन्दर करना अपेक्षित है। ऐसा करने में असफल रहने पर GSTR-2 में ऐसी पूर्तियों और सम्बन्धित क्रेडिट के विवरण, 180

दिन की समाप्ति से अगले माह में प्रस्तुत किये जाने चाहिये। ऐसे विवरणों की प्रस्तुति के माह में, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा ली गयी क्रेडिट की राशि को ब्याज सहित उस माह के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जायेगा, जिस माह में विवरण प्रस्तुत किये गये हैं।

ब्याज की राशि की गणना 18% प्रतिवर्ष की दर से ली गयी क्रेडिट की राशि पर क्रेडिट की तिथि से, पूर्तिकर्ता को वास्तविक भुगतान की तिथि तक, संगणित की जायेगी।

तथापि, एक बार भुगतान करने के बाद, प्राप्तकर्ता पुनः क्रेडिट का अधिकारी बिना किसी समय सीमा के होगा। बिन्दु (IV) के अधीन क्रेडिट लेने सम्बन्धी समय सीमा की विवेचना पढ़ें। यदि, आंशिक भुगतान किया गया है, आनुपातिक क्रेडिट स्वीकृत होगी।

#### अपवाद (Exceptions)

पूर्ति का मूल्य + कर सहित 180 दिन के अन्दर भुगतान की शर्त निम्नांकित स्थितियों में लागू नहीं होती है :

- प्रतिलोमी प्रभार के अधीन पूर्तियाँ जिन पर कर देय है,
- बिना प्रतिफल मानी गयी पूर्तियाँ।
- इस तरह की आपूर्ति के सम्बन्ध में, आपूर्तिकर्ता को देयता के कारण आपूर्ति के मूल्य में किए गए परिवर्तन प्राप्तकर्ता द्वारा किए जा रहे हैं।

उपर्युक्त बिन्दु (b) और (c) में दी गयी स्थितियों के तहत आपूर्ति के मूल्य का भुगतान किया गया माना जाता है।



PZP Ltd. ने, गुणवत्ता के विवाद के कारण, एक मशीन का भुगतान वेन्डर्स को तब तक नहीं किया जब तक कि त्रुटि का सुधार नहीं होता है। इस विवाद में 180 दिन से अधिक समय गुजर गया। PZP द्वारा बीजक के अनुसार ली गयी क्रेडिट PZP के आउटपुट दायित्व में जोड़ दी गयी, और इस प्रकार, उनको क्रेडिट वापस करनी पड़ी। जब विक्रेता ने मशीन सुधार दी और PZP Ltd. द्वारा भुगतान कर दिया गया, PZP पुनः क्रेडिट ले सकते हैं।

- (v) यदि कर के भाग पर ह्रास का दावा किया गया है, ITC अस्वीकृत होगी [धारा 16(3)] [If depreciation claimed on tax component, ITC not allowed (Section 16(3))]

पूँजीगत माल और संयंत्र और मशीनरी पर ITC लेने वाला व्यक्ति, कर के भाग पर ह्रास का दावा आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन करता है, ऐसे कर के भाग पर ITC स्वीकृत नहीं होगी। अतः ऐसी मदों पर चुकता कर के सम्बन्ध में, आयकर अधिनियम, 1961 और GST विधान के अधीन दोहरा लाभ नहीं लिया जा सकता है। अन्य शब्दों में, कर के भाग पर या तो ह्रास का दावा किया जा सकता है अथवा चुकता कर का ITC लिया जा सकता है।

- (vi) ITC लेने की समय सीमा : अगले वित्त वर्ष के सितम्बर माह की विवरणी की प्रस्तुति की देय तिथि अथवा चालू वर्ष की विवरणी प्रस्तुति की वास्तविक तिथि (जो भी पहले हो) [धारा 16(4)] [Time limit for availing ITC : Due date of filing of return for the month of September of succeeding financial year or date of filing of annual return, whichever is earlier (Section 16(4))]

किसी वित्त वर्ष से सम्बन्धित बीजकों और किसी वित्त वर्ष के बीजकों सम्बन्धी डेबिट नोट्स पर ITC किसी समय तक ली जा सकती है, जब तक कि अगले वित्त वर्ष के सितम्बर माह की विवरणी की देय तिथि और सम्बन्धित वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि, (जो भी पहले हो) की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है।

यह ध्यान देने योग्य है कि सितम्बर माह की विवरणी 20 अक्टूबर तक दाखिल की जाती है और किसी वित्त वर्ष की वार्षिक विवरणी अगले वित्त वर्ष की 31 दिसम्बर पर प्रस्तुत की जानी होती है।

अतः ITC लेने की ऊपरी समय सीमा, अगले वित्त वर्ष की 20 अक्टूबर अथवा वार्षिक विवरणी प्रस्तुति की तिथि है (जो भी पहले हो) इस प्रतिबंध का कारण यह है कि अगले वर्ष के सितम्बर माह के पश्चात विवरणी में कोई परिवर्तन स्वीकृत नहीं होता है। यदि सितम्बर से पूर्व वार्षिक विवरणी प्रस्तुत कर दी जाती है, उसके पश्चात कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

#### अपवाद (Exception)

धारा 16(4) के अधीन समय सीमा ऐसी पुनः क्रेडिट पर लागू नहीं होती है, जिसकी पहले वापसी ले ली गयी थी।



हरक्यूलिस मशीनरी ने XYZ को एक मशीन जनवरी, 2018 में बीजक संख्या 49 दिनांक 28 जनवरी, ₹ 4,15,000 + GST के द्वारा सुपुर्द की और XYZ की इच्छानुसार उसका ट्रायल और मशीन का कॅलीब्रेशन प्रारम्भ कर दिया। अप्रैल, 2018 में निर्गमित डेबिट नोट ₹ 50,000 + GST, सुपुर्दगी पश्चात् गतिविधियों के सम्बन्ध में था। हरक्यूलिस मशीनरी ने अक्टूबर 2018 तक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।

यद्यपि, डेबिट नोट अगले वित्त वर्ष में प्राप्त हुआ है, परन्तु यह ऐसे बीजक के सम्बन्ध में जिसका वित्त वर्ष मार्च, 2018 में समाप्त होता है। अतः ₹ 50,000 और ₹ 4,15,000 सम्बन्धी क्रेडिट की समय सीमा 20 अक्टूबर, 2018 है, जो कि 2017-18 की वार्षिक विवरणी की प्रस्तुति की तिथि से पूर्ववर्ती है।

- (vii) **आनुपातिक ITC सम्बन्धी प्रतिबंध (i) करयोग्य पूर्ति, (ii) व्यवसायिक उद्देश्य [धारा 17 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2)] [Restriction of ITC in proportion of (i) taxable supplies (ii) business purposes (Sub-section (1) and (2) of Section 17)]**

ITC की उपलब्धि माल और/या सेवाओं के उपयोग पर आधारित है, (i) पूर्ति का करयोग्य और/या शून्य दर हिस्से में। (ii) व्यवसायिक उद्देश्य के लिए। इसको नीचे शीर्षक संख्या 4 में विस्तार से समझाया गया है।

(viii) कुछ आपूर्ति पर ITC नहीं मिलती [धारा 17(5)] [ITC not allowed on certain supplies [Section 17(5)]]

निर्दिष्ट माल और सेवाओं के लिए ITC को अवरुद्ध कर दिया गया है यह नीचे शीर्षक 4 में विस्तृत है।

#### 4. क्रेडिट का विभाजन और रोकी गयी क्रेडिट्स [धारा 17] [Apportionment of Credit and Blocked Credits (Section 17)]

वैधानिक प्रावधान		
धारा 17		
उप-धारा	खण्ड	क्रेडिट का विभाजन या रोकी गयी क्रेडिट
(1)		यदि पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग आंशिक रूप से व्यावसायिक और आंशिक रूप से अन्य उद्देश्यों के लिये किया गया है, क्रेडिट की राशि उस सीमा तक प्रतिबंधित रहेगी जितना कि इनपुट का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिये किया गया है।
(2)		जहाँ किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग आंशिक रूप से शून्य दर पूर्ति सहित कर योग्य पूर्तियों के लिये और आंशिक रूप से कर मुक्त पूर्तियों के लिये किया गया है, क्रेडिट की राशि उस सीमा तक प्रतिबंधित रहेगी, जितना कि इनपुट का उपयोग कर योग्य पूर्तियों (शून्य दर पूर्ति सहित) के लिये किया गया है। कर योग्य और कर मुक्त पूर्तियों को CGST Act और IGST Act के संदर्भ में चिह्नित करते हैं।
(3)		उप-धारा (2) के अनुसार कर मुक्त पूर्तियों का मूल्य वह होगा जैसा कि निर्धारित है और इसमें ऐसी पूर्तियाँ भी शामिल होंगी जिनमें प्राप्तकर्ता प्रतिलोमी प्रभार के अधीन कर भुगतान के लिये दायी है, इनके अतिरिक्त प्रतिभूतियों में व्यवहार, भूमि का विक्रय और द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद 5 के खण्ड (b) के अधीन भवन का विक्रय।
		<b>स्पष्टीकरण :</b> इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति कर युक्त आपूर्ति का मूल्य 'अनुसूची 3 में निर्दिष्ट गतिविधियों या लेनदेन मूल्य को जो उक्त अनुसूची के पैरा 5 में निर्दिष्ट है उन्हें छोड़कर, शामिल नहीं करेगा।
(4)		कोई बैंकिंग कम्पनी या एक वित्तीय संस्थान NBFC सहित, जो जमा स्वीकार करने, ऋण एवं अग्रिम प्रदान करने के सेवाओं में लगा हुआ है, उसे विकल्प प्राप्त होगा कि उप-धारा (2) के प्रावधानों की अनुपालना करे अथवा प्रतिमाह इनपुट्स, पूँजीमाल और इनपुट सेवाओं पर समर्थ क्रेडिट का पचास प्रतिशत के बराबर राशि उपयोग करे और शेष को समाप्त होने दे।
		उल्लिखित है कि एक बार विकल्प का प्रयोग करने पर, वित्त वर्ष के शेष भाग में उसको वापस नहीं लिया जा सकता है।

	आगे उल्लिखित है कि पचास प्रतिशत का प्रतिबंध एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दूसरे पंजीकृत व्यक्ति को की गयी पूर्तियों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा, जिनका PAN समान हो।
(5)	धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 18 की उप-धारा (1) में उल्लिखित किसी प्रावधान को ध्यान नहीं देते हुए, इनपुट टैक्स क्रेडिट निम्नांकित के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी, नामत :
	(a) मोटर वाहन और अन्य सवारी, इसके अलावा जब वो निम्नांकित के लिए उपयोग किए जाते हैं।
	(i) निम्नांकित कर योग्य पूर्तियों को करने के लिये नामत :
	(A) ऐसे वाहन या सवारी की आगे पूर्ति; अथवा
	(B) यात्रियों का परिवहन; अथवा
	(C) ड्राइविंग, फ्लाईंग, नेवीगेटिंग के प्रशिक्षण में प्रयुक्त ऐसे वाहन या सवारी
	(aa) जहाजों एवं वायुयानों, जब वे प्रयोग किए गए हैं को छोड़कर (Vessels and aircraft except when they are used) :
	(i) निम्नलिखित करयोग्य आपूर्तियों को बनाने के लिए मुख्यतया : (अ) ऐसे जहाजों व वायुयानों की आगे आपूर्ति; या (ब) यात्रियों को यातायातीकरण/परिवहन; या (स) ऐसे जहाजों के संचालन पर प्रशिक्षण प्रदान करना; या (द) ऐसे वायुयानों को उड़ाने पर प्रशिक्षण प्रदान करना।
	(ii) माल परिवहन के लिए;
	(ab) अनुच्छेद (a) या अनुच्छेद (b) में दर्शाये गए मोटर वाहन, जहाजों या वायुयानों से सम्बन्धित सामान्य बीमा की सेवाएं, सेवाएं, मरम्मत एवं रख-रखाव :
	बताया गया है कि ऐसे सेवाओं के सन्दर्भ में प्राप्त कर उपस्थित होगा।
	(i) जहाँ मोटर वाहन, जहाजों या वायुयानों का प्रयोग विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है जैसा कि अनुच्छेद (a) या अनुच्छेद (aa) में संदर्भित है।
	(ii) जहाँ करयोग्य व्यक्ति के शामिल होने के द्वारा प्राप्त हुआ हो :
	(I) ऐसे मोटर वाहन, जहाज या वायुयानों के निर्माण में; या (II) उसके द्वारा सीमित ऐसे मोटर वाहन, जहाज या वायुयानों के संदर्भ में सामान्य बीमा सेवाओं की आपूर्ति में।

	<b>(b) माल या सेवाओं या दोनों की निम्नलिखित पूर्तियाँ :</b>
	<b>(i)</b> खाद्य और पेय पदार्थ, बाह्य खानपान, सौन्दर्योपचार, स्वास्थ्य सेवाएँ, प्रसाधन और प्लास्टिक शल्य चिकित्सा वहाँ के सिवाय जहाँ किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट श्रेणी के माल या सेवाओं या दोनों बाह्य कर योग्य आपूर्ति के लिए या कर योग्य संयुक्त या मिश्रित पूर्ति के तत्व के रूप में किया जाता है :
	बताया गया है कि ऐसे माल या सेवा या दोनों के सन्दर्भ में प्राप्त कर जहाँ ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के आन्तरिक आपूर्ति को एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा समान वर्ग के माल या सेवा या दोनों या एक कर योग्य संयुक्त या मिश्रित आपूर्ति की बाह्यगमन करयोग्य आपूर्ति के लिए किया जाता है, उपस्थित होगा।
	<b>(ii)</b> किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केन्द्र की सदस्यता;
	<b>(iii)</b> छुट्टियों पर, अवकाश या घर यात्रा छूट के रूप में कर्मचारियों के यात्रा लाभों को बढ़ा दिया गया है।
	बताया गया है कि ऐसे माल या सेवा या दोनों के सन्दर्भ में प्राप्त कर उपस्थित होगा, जहाँ नियोक्ता के लिए किसी कानून के तहत तय समय में इसके कर्मचारियों को समान वस्तुएँ प्रदान करनी अनिवार्य होती हैं।
	<b>(c)</b> अचल सम्पत्ति के निर्माण के लिये प्रदत्त कार्य संविदा सेवाएँ (संयंत्र और मशीनरी को छोड़कर) सिवाय वहाँ, जहाँ आगे कार्य संविदा सेवाओं के इनपुट सेवाओं के रूप में है।
	<b>(d)</b> किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिये (संयंत्र और मशीनरी को छोड़कर) किसी स्थावर सम्पदा के विनिर्माण के लिये प्राप्त माल या सेवाएँ या दोनों जिसके उपयोग व्यवसाय के दौरान या अभ्युदय में किया जाता है।
	स्पष्टीकरण—खण्ड (c) और (d) के उद्देश्य के लिये अभिव्यक्ति 'विनिर्माण' में शामिल है ऐसी स्थावर सम्पदा के पूँजीकरण की सीमा तक पुनर्निर्माण, नवकरण, परिवर्धन या परिवर्तन या मरम्मत है।
	<b>(e)</b> ऐसा माल या सेवाएँ या दोनों जिस पर धारा 10 के अधीन कर देय है;
	<b>(f)</b> किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति, सिवाय उसके द्वारा आयातित माल;
	<b>(g)</b> व्यक्तिगत उपभोग के लिये माल या सेवाएँ या दोनों;

	(h) खोया हुआ, चोरी हुआ, नष्ट हुआ, दान या निःशुल्क सैम्पल्स के रूप में अपलिखित या निस्तारित माल;
	(i) धारा 74, 129 और 130 के प्रावधानों के अधीन कोई चुकता कर।
(6)	सरकार ऐसी निर्धारित रीति से, उप-धारा (1) और (2) में संदर्भित क्रेडिट का निर्धारण किया जा सके।
	स्पष्टीकरण—इस अध्याय और अध्याय 6 के उद्देश्यों के लिये “अभिव्यक्ति” “संयंत्र और मशीनरी” का आशय धारित उपस्कर और प्रतिष्ठापन या संरचनात्मक आलम्ब द्वारा भूमि पर स्थिर मशीनरी से अभिप्रेत है जिनका उपयोग माल या सेवाओं या दोनों की बाह्य पूर्ति करने के लिये किया जाता है और इसके अन्तर्गत ऐसी प्रतिस्थापना या संरचनात्मक आलम्ब भी है, किन्तु इसमें निम्नांकित शामिल नहीं है :
	(i) भूमि, भवन या कोई अन्य सिविल विनिर्माण;
	(ii) दूर संचार टावर; और
	(iii) कारखाने के परिसर के बाहर बिछायी गयी पाइप लाइनें।
<b>अध्याय V : CGST नियमावली में इनपुट टैक्स क्रेडिट नियम</b> (Chapter V : Input Tax Credit of the CGST Rules)	
<b>नियम 38</b>	<b>किसी बैंकिंग कम्पनी या वित्तीय संस्थान द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा</b> (Claim of credit by a banking company on a financial Institution)
	एक बैंकिंग कम्पनी या वित्तीय संस्थान, NBFC सहित जो जमाओं को प्राप्त करती है, ऋण और अग्रिम प्रदान करने की सेवाओं में लगी हुई है, धारा 17 की उप-धारा (2) के उपबंधों की पालना नहीं करने का विकल्प चुनती है उसी धारा की उप-धारा (4) के अधीन स्वीकृत विकल्प के अनुसार, निम्नांकित प्रक्रिया की अनुपालना करेगी; नामतः:
	(a) उपर्युक्त कम्पनी या संस्थान निम्नांकित क्रेडिट नहीं लेगा :
	(i) गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये इनपुट्स और इनपुट सेवाओं पर चुकता कर,
	(ii) धारा 17(5) में निर्दिष्ट पूर्तियों सम्बन्धी क्रेडिट—Form GSR-2 में
	(b) धारा 17 की उप-धारा (4) में संदर्भित इनपुट्स और इनपुट सेवाओं पर चुकता कर के सम्बन्ध में ऐसी कम्पनी/संस्थान को क्रेडिट उपलब्ध है, परन्तु खण्ड (a) में उल्लिखित के सम्बन्ध में नहीं;
	(c) इनपुट टैक्स की शेष 50% राशि, कम्पनी/संस्थान को क्रेडिट के रूप में स्वीकृत होगी और जिसको प्रारूप GSTR-2 में वर्णित किया जायेगा;
	(d) खण्ड (b) और (c) में वर्णित राशि, धारा 41, 42 और 43 के प्रावधानों के अधीन ऐसी कम्पनी या संस्था के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट की जायेगी।

नियम 42	इनपुट्स या इनपुट सेवाओं के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट के निर्धारण की रीति और उसकी वापसी
	इनपुट्स और इनपुट सेवाओं के सम्बन्ध में ITC, जिस पर धारा 17 की उप-धारा (1) या (2) के प्रावधान लागू होते हैं, जिसका आंशिक व्यावसायिक और आंशिक अन्य उपयोग हुआ है।, अथवा आंशिक कर योग्य पूर्तियों (शून्य दर पूर्ति सहित) और आंशिक कर मुक्त पूर्तियों के लिए किया गया है, उन्हें व्यावसायिक उद्देश्य या कर योग्य पूर्तियों के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से विभाजित किया जायेगा, नामतः:
	(a) इनपुट और इनपुट सेवाओं में निहित कुल ITC जिसका एक अवधि से सम्बन्ध है उसे 'T' कहेंगे;
	(b) इनपुट कर की राशि, 'T' में से निवेश (Input) और निवेश सेवाओं से सम्बन्धित जिसको पूरी तरह से प्रयोग व्यापार के अतिरिक्त होना है, वह 'T <sub>1</sub> ' से दिखाया जाएगा।
	(c) इनपुट कर की राशि, 'T' में से निवेश और निवेश सेवाओं से सम्बन्धित जिसको पूरी तरह से प्रयोग करमुक्त (exempt) आपूर्तियों को प्रभावित करने के लिए है, वह 'T <sub>2</sub> ' से दिखाया जाएगा।
	(d) कुल ITC 'T' को सम्बन्धित ऐसी इनपुट या इनपुट सेवाओं सम्बन्धी ITC जिस पर धारा 17 (5) के अधीन क्रेडिट उपलब्ध नहीं है उसे 'T <sub>3</sub> ' कहेंगे,
	(e) पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट होने वाली राशि को 'C <sub>1</sub> ' कहेंगे, और इसकी गणना इस प्रकार की जायेगी $C_1 = T - (T_1 + T_2 + T_3)$ ;
	(f) इनपुट्स और इनपुट सेवाओं सम्बन्धी ITC की राशि, जिसमें से केवल कर मुक्त पूर्तियों को छोड़कर (शून्यदर को शामिल करके) अन्य पूर्तियों (कर योग्य) में प्रयुक्त ITC की राशि को T <sub>4</sub> कहेंगे;
	(g) T <sub>1</sub> , T <sub>2</sub> , T <sub>3</sub> और T <sub>4</sub> का निर्धारण करके इसकी घोषणा बीजक स्तर पर पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रारूप GSTR-2 में की जायेगी, तथा सारांश स्तर पर प्रारूप GSTR 3B में की जायेगी।
	(h) खण्ड (g) से सम्बन्धित ITC को घटाने के पश्चात, शेष ITC की राशि को कॉमन क्रेडिट कहेंगे और जिसको 'C <sub>2</sub> ' चिह्नित करेंगे और गणना करेंगे— $C_2 = C_1 - C_4$
	(i) कर मुक्त पूर्तियों सम्बन्धी ITC 'D <sub>4</sub> ' कहेंगे जिसकी गणना की जायेगी— $D_1 = (E \div F) \times C_2$
	यहाँ
	'E' का आशय कर अवधि के दौरान कुल कर मुक्त पूर्तियों की मूल्य और 'F' का आशय पंजीकृत व्यक्ति का कर अवधि के दौरान राज्य में कुल बिक्री से है;
	उल्लिखित है कि, यदि पंजीकृत व्यक्ति का उपरोक्त करावधि में कोई बिक्री नहीं

	है अथवा उपर्युक्त सूचना उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में 'F' के मूल्य की गणना पिछली करावधि के E और F के मूल्यों के आधार पर करेंगे, जिसके लिये पिछले बिक्री के विवरण उपलब्ध होंगे जो कि पिछले माह से सम्बन्धित होंगे।
	<b>स्पष्टीकरण</b> —इस खण्ड के उद्देश्य के लिये यह स्पष्ट किया जाता है कि 'कर मुक्त' पूर्तियों का कुल मूल्य और 'कुल बिक्री' में से संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रथम सूची की प्रविष्टि 84 और द्वितीय सूची की प्रविष्टि 51 और 54 सम्बन्धी शुल्क या कर की राशि घटा दी जायेगी।
	(j) गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों सम्बन्धी ITC, यदि कॉमन इनपुट्स और इनपुट सेवाओं का प्रयोग आंशिक रूप से व्यावसायिक और आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्यों में किया गया है, उन्हें $D_2$ के रूप में चिह्नित करेंगे और $C_2$ के पाँच प्रतिशत के बराबर होगी; और
	(k) शेष क्रेडिट की राशि ITC के लिये समर्थ होगी जिसका कि व्यवसाय से सम्बन्ध है, कर मुक्त पूर्तियों से अतिरिक्त अन्य पूर्तियों (शून्य दर पूर्ति सहित) को ' $C_3$ ' के रूप में चिह्नित करेंगे, यहाँ— $C_3 = C_2 - (D_1 + D_2)$ ;
	(l) $C_3$ की राशि से CGST, SGST, UTGST और IGST सम्बन्धी ITC की पृथक् गणना की जायेगी तथा प्रारूप GSTR 3B या प्रारूप GST DRC - 03 द्वारा घोषित की जायेगी।
	(m) $D_1$ और $D_2$ के योग की राशि को पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रारूप GSTR 3-B में या प्रारूप GST DRC-03 के माध्यम से रिवर्स किया जायेगा।
	उल्लिखित है कि, आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक और कर मुक्त पूर्तियों में प्रयुक्त इनपुट्स और इनपुट सेवाओं की राशि, जिसको बीजक स्तर पर चिह्नित करके पृथक् किया गया है, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उसको क्रमशः $T_1$ और $T_2$ में शामिल किया जायेगा और ऐसे इनपुट्स और इनपुट सेवाओं पर शेष राशि को ' $T_4$ ' में शामिल करेंगे।
(2)	इनपुट कर जमा (input tax credit) उप-नियम (1) में नियत का अन्ततः योग्य वित्तीय वर्ष के लिए, उस वित्तीय वर्ष के खत्म होने के बाद के सितम्बर महीने के रिटर्न को तैयार करने की देय तिथि से पहले व्यथित नियम के अनुसार होता है।
	(a) अंतिम निर्धारण में यदि ' $D_1$ ' और ' $D_2$ ' की संगणित राशि, उप-नियम (1) के अधीन निर्धारित ' $D_1$ ' और ' $D_2$ ' के सकल योग से अधिक होती है, ऐसा आधिक्य पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रारूप GSTR-3B में या प्रारूप GSTDRC-03 के माध्यम से उस माह में रिवर्स किया जायेगा। वित्त वर्ष के पश्चात सितम्बर माह से आगे नहीं हो, और ऐसा व्यक्ति, ऐसी आधिक्य की राशि पर धारा 50 (1) धारा में निर्धारित दर से ब्याज भुगतान के लिये, अगले वित्त वर्ष के 1 अप्रैल से वास्तविक भुगतान तक, दायी होगी; अथवा

	(b) उप-नियम (1) के अधीन निर्धारित A राशियों का योग अंततः D <sub>1</sub> और D <sub>2</sub> के सम्बन्ध में निर्धारित राशियों के योग से अधिक होता है, ऐसी आधिक्य की राशि के लिये पंजीकृत व्यक्ति द्वारा क्रेडिट के रूप में दावा उस माह की विवरणी में किया जा सकता है जो सम्बन्धित वित्त वर्ष के पश्चात सितम्बर माह के समापन से पहले है।
नियम 43	<b>पूँजीगत माल सम्बन्धी ITC का निर्धारण की रीति और कुछ मामलों में उसकी वापसी</b>
(1)	धारा 16 (3) के प्रावधानों के अधीन, ऐसे पूँजीगत माल सम्बन्धी ITC जिस पर धारा 17 की उप-धारा (1) और (2) के प्रावधान लागू होते हैं, जिसका आंशिक उपयोग व्यापारिक उद्देश्यों के लिये और आंशिक अन्य उद्देश्यों के लिये किया गया है अथवा आंशिक कर योग्य पूर्तियों में आंशिक कर मुक्त (शून्यदर पूर्ति सहित) के लिये किया गया है, उसका विभाजन व्यावसायिक उद्देश्यों और कर योग्य पूर्तियों के सम्बन्धी उपयोग के आधार पर कर लिया जायेगा, नामतः:
	(a) पूर्णतः गैर-व्यवसायिक उद्देश्य के लिए प्रयोग किए गए या प्रयोग के लिए इच्छित पूँजीगत माल के सम्बन्ध में या पूर्णतः कर मुक्त आपूर्तियों को प्रभावित करने के लिए प्रयोग किए गए या प्रयोग करने के लिए इच्छित पूँजीगत माल के सम्बन्ध में इनपुट कर की राशि को फॉर्म GSTR-2 तथा GSTR-3B में दर्शित किया जाएगा तथा उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट नहीं किया जाएगा।
	(b) कर मुक्त आपूर्तियों के अलावा परन्तु शून्य दर आपूर्तियों को सम्मिलित करते हुए आपूर्तियों को प्रभावित करने के लिए प्रयोग किए गए या प्रयोग करने के लिए इच्छित पूँजीगत माल के सम्बन्ध में इनपुट कर की राशि को फॉर्म GSTR-2 तथा GSTR 3B में दर्शित किया जाएगा तथा उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर दिया जाएगा।
	(c) उपर्युक्त खण्ड (a) और (b) से भिन्न प्रयुक्त पूँजीगत माल सम्बन्धी ITC को 'A' कहेंगे और ई. क्रेडिट लेजर में प्रविष्टि की जायेगी और ऐसे माल का उपयोगी जीवन 5 वर्ष, उनके बीजक की तिथि से माना जायेगा।
	उल्लेखित है कि पहले खण्ड (a) में शामिल पूँजीगत माल, बाद में इस खण्ड के अधीन आता है, पूर्व संगणित 'A' का मूल्य, प्रति तिमाही या उसके भाग के लिये 5% की दर से कम कर दिया जायेगा और 'A' की राशि ई. क्रेडिट लेजर में क्रेडिट की जायेगी;
	<b>स्पष्टीकरण</b> —ऐसा पूँजीगत माल जिसकी प्राप्ति पर उसे खण्ड (a) में घोषित किया गया था, उस पर धारा 18 की उप-धारा (4) के प्रावधान लागू नहीं होंगे, यदि वह बाद में उस खण्ड के अधीन रहता है।

	(d) खण्ड (c) के अधीन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट की गयी 'A' की सकल राशि को 'T <sub>c</sub> ' अंकित करके उस अवधि के लिये पूँजीगत माल कॉमन क्रेडिट होगा;
	उल्लेख है कि ऐसा पूँजीगत माल जो पहले खण्ड (b) के अधीन था और बाद में खण्ड (c) के अधीन आ जाता है, 'A' का संगणित मूल्य, प्रति माह या उसके किसी भाग के लिये 5% पाइन्ट्स से कम कर दिया जायेगा और उसको 'T <sub>c</sub> ' के मूल्य में जोड़ दिया जायेगा।
	(e) करावधि में आम पूँजीगत माल सम्बन्धी ITC की राशि का विभाजन उनके उपयोगी जीवन में करके, T <sub>m</sub> अंकित किया जायेगा जिसकी गणना इस रूप में की जायेगी : $T_m = T_c \div 60$
	(f) करावधि के प्रारम्भ में ITC की राशि ऐसे कॉमन पूँजीगत मालों सम्बन्धी जिनका उपयोगी जीवन करावधि में शेष है, उन्हें 'Tr' अंकित करके ऐसे पूँजीगत माल सम्बन्धी T <sub>m</sub> में जोड़ दिया जायेगा।
	(g) कर मुक्त पूर्तियों सम्बन्धी कॉमन क्रेडिट की राशि को 'T <sub>e</sub> ' अंकित किया जायेगा जिसकी गणना इस प्रकार होगी : $T_e = (E \div F) \times Tr$ यहाँ, E कर मुक्त पूर्तियों का सकल योग है जो करावधि के दौरान की गयी है, और F पंजीकृत व्यक्ति का राज्य में करावधि में कुल बिक्री राशि है।
	उल्लिखित है, यदि पंजीकृत व्यक्ति का उपर्युक्त अवधि में कोई बिक्री नहीं है अथवा उपर्युक्त सूचना उपलब्ध नहीं है, तब, E/F का मूल्यांकन पिछली करावधि के मूल्यों के आधार पर किया जायेगा, जिसमें ऐसे विवरण उपलब्ध हैं जो उस माह से पूर्व होंगे, जिसमें E/F का मूल्यांकन करना था।
	<b>स्पष्टीकरण</b> —इस खण्ड के उद्देश्य के लिये, यह स्पष्ट किया जाता है कि कर मुक्त पूर्तियों के सकल मूल्य और सकल बिक्री से ऐसे शुल्क या कर को घटा दिया जायेगा जिसका उद्ग्रहण संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रथम सूची की प्रविष्टि 84 और वित्तीय सूची की प्रविष्टि 57 और 52 के अधीन किया जाता है।
	(h) T <sub>c</sub> की राशि लागू ब्याज सहित जो कि सम्बन्धित पूँजीगत माल के प्रत्येक उपयोगी जीवन की करावधि से सम्बन्धित होगी, ऐसी क्रेडिट का दावा करने वाले व्यक्ति के आउटपुट टैक्स दायित्व में जोड़ दी जायेगी।
	(i) 'T <sub>c</sub> ' की राशि को CGST, SGST, UTGST और IGST लिये पृथक्-पृथक् संगणित करेंगे तथा प्रारूप GSTR-3B में घोषित करेंगे।
<b>स्पष्टीकरण</b> : नियम 42 अथवा इस नियम के उद्देश्य से, यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि कर मुक्त आपूर्ति के मूल्य के कुल योग से यह बाहर है—	

	(b) सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य जमा स्वीकार के रूप में, ऋण या उधार को बढ़ाना जहाँ तक कि मुआवजा ब्याज या छूट के रूप में दिखाया जाए, बैंकिंग कम्पनी या वित्तीय संस्थान गैर-बैंकिंग कम्पनी सहित के मामलों को छोड़कर जो कि सेवाओं की आपूर्ति में व्यस्त हो जमा स्वीकार, ऋण बढ़ाना या उधार बढ़ाने के रूप में, तथा
	(c) सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य माल को जहाज द्वारा पहुँचाने के रूप में भारत के सीमा शुल्क स्टेशन (customs station of clearance) से भारत के बाहर।

### विश्लेषण (Analysis)

धारा 17 के अधीन दो परिस्थितियों में ITC के विभाजन और संगत प्रतिबन्ध की आवश्यकता है और साथ ही निर्दिष्ट आन्तरिक आपूर्ति पर ITC को अवरुद्ध करने की आवश्यकता है।

#### A. ITC का विभाजन [धारा 17 की उप-धारा (1) और (2) के साथ CGST नियमावली के नियम पर 42 और 43 के साथ पढ़ें] Apportionment of ITC [Sub-section (1) and (2) of section 17 read with rules 42 and rule 43 of CGST rules]

विभाजन अपेक्षित स्थितियाँ निम्नांकित हैं :

- जब माल और/या सेवाओं का उपयोग जब आंशिक रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए (व्यवसाय की परिभाषा पढ़ें) और आंशिक रूप से अन्य उद्देश्यों के लिये [धारा 17 (1)]; और
- जब पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माल और/या सेवाओं का उपयोग आंशिक रूप से कर योग्य पूर्तियों के लिये (शून्य दर पूर्ति सहित) और आंशिक रूप से कर मुक्त पूर्तियों के लिये (कर मुक्त पूर्तियों की परिभाषा पढ़ें [धारा 17 (2)]

उपर्युक्त दोनों स्थितियों में, आपूर्तियों पर पूर्ण ITC नहीं ली जा सकती है; केवल आनुपातिक ITC ही ऐसी स्थिति में स्वीकृत होगी। जब माल या सेवाओं का उपयोग आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये, तब व्यावसायिक उद्देश्यों सम्बन्धी ITC पंजीकृत व्यक्ति द्वारा ली जा सकती है। इसी प्रकार माल या सेवाओं का उपयोग करमुक्त पूर्तियों (शून्य दर पूर्ति सहित) के लिये और आंशिक रूप से कर योग्य पूर्तियों के लिये किया गया है, ऐसी स्थिति में कर योग्य पूर्तियों और शून्य दर पूर्तियों सम्बन्धी ITC पंजीकृत व्यक्ति द्वारा ली जा सकती है।

IGST Act की धारा 16(2) निर्दिष्ट करती है कि शून्य दर बाह्य पूर्तियों सम्बन्धी आन्तरिक पूर्तियों की ITC ली जा सकती है, बिना ध्यान दिये कि शून्य दर पूर्तियों की करमुक्त प्रकृति होती है। शून्यदर पूर्ति ऐसी अभिव्यक्ति है जिसमें दो प्रकार की पूर्तियाँ शामिल हैं : (i) निर्यात, और (ii) SEZ इकाइयों विकासकर्ता को पूर्तियाँ। अतः ITC ऐसी पूर्तियों पर उपलब्ध होती है जिनका उपयोग निर्यात के दौरान अथवा SEZ इकाई या विकासकर्ता के लिये है।



एक पंजीकृत व्यक्ति जूता निर्माण के व्यवसाय में है। उसने 50 जोड़ी जूते अपने मित्र को मुफ्त में दे दिए। निविष्ट एवं निविष्ट सेवाओं पर ITC ऐसे 50 जोड़ी जूतों के लिए जो गैर व्यावसायिक उद्देश्य से प्रयोग हुए लागू नहीं होगा।



एक पंजीकृत व्यक्ति एक उत्पाद X 18% GST शुल्क योग्य एक उत्पाद Y जिसकी कर की दर शून्य एवं एक उत्पाद Z जिसका बिना अनुबंध के अन्तर्गत करके भुगतान के निर्यात किया गया का निर्माण करता है। सभी तीनों उत्पाद समान सामग्री एवं सेवाओं से बनाए जाते हैं। उत्पाद Y पर निविष्ट एवं निविष्ट सेवाओं को करमुक्त आपूर्ति होने के कारण ITC लागू नहीं होगा।

- (i) इनपुट्स और इनपुट सेवाओं सम्बन्धी ITC के विभाजन और वापसी सम्बन्धी कार्य प्रणाली—[CGST नियमावली का नियम-42] [Methodology of apportionment of credit on inputs and inputs services and reversal there of (Rule 42 of the CGST Rules)]

अनेक स्थितियों में, करमुक्त और गैर व्यावसायिक उपयोग में निहित इनपुट टैक्स की राशि का पृथक्करण सरल नहीं है, क्योंकि (i) कर योग्य पूर्तियाँ। शून्यदर पूर्तियों सहित और कर मुक्त पूर्तियाँ और (ii) व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक उद्देश्यों में कॉमन माल और/या सेवाओं का उपयोग किया गया है। CGST नियमावली के नियम 42 में ऐसा उल्लेख है, जिससे इनपुट्स और इनपुट सेवाओं पर ITC का विभाजन और अमान्य क्रेडिट की वापसी, की कार्यप्रणाली निम्न रूप में स्पष्ट की गयी है :

**चरण 1-कॉमन क्रेडिट की गणना (Step 1-Compute Common Credit)**

एक करावधि में इनपुट्स और इनपुट सेवाओं में निहित कुल इनपुट कर	T
घटाओ : इनपुट और इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर जिसका उद्देश्य विशेष रूप से गैर व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाना है।	(T <sub>1</sub> )
घटाओ : इनपुट और इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर जिसका उद्देश्य विशेष रूप से कर मुक्त पूर्ति के लिए उपयोग किया जाना है।	(T <sub>2</sub> )
घटाओ : इनपुट और इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर जो क्रेडिट के लिए मान्य नहीं हैं [ब्लॉकड क्रेडिट : बिन्दु (ii) में विचार पढ़ें ]	(T <sub>3</sub> )
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट की गयी ITC	C <sub>1</sub>
घटाओ-एकमात्र कर योग्य पूर्तियों (शून्य दर पूर्ति सहित) में प्रयोज्यनीय इनपुट्स एवं इनपुट सेवाओं पर ITC	(T <sub>4</sub> )
विभाजन के लिये उपलब्ध कामन ITC	C <sub>2</sub>

- ✓ T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub>, T<sub>3</sub> और T<sub>4</sub> के निर्धारण के पश्चात उसकी घोषणा पंजीकृत व्यक्ति द्वारा बीजक स्तर पर GSTR-2 तथा सारांश स्तर GSTR-3B में किया जायेगा।
- ✓ जहाँ आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये और आंशिक रूप से विमुक्त पूर्तियों में प्रयुक्त इनपुट्स और इनपुट सेवाओं सम्बन्धी ITC को बीजक स्तर पृथक किया जा सकता है जिसको T<sub>1</sub> और T<sub>2</sub> में क्रमशः जोड़ा जायेगा और शेष को T<sub>4</sub> में जोड़ा जायेगा।
- ✓ C<sub>2</sub> में चिह्नित की गयी कर योग्य पूर्तियों का भाग ITC के रूप में स्वीकृत होगा।

**कॉमन C<sub>2</sub> क्रेडिट की राशि की गणना सम्बन्धी उदाहरण—**

यह मानते हुए कि हवाई स्लीपर्स (चप्पलें) GST से विमुक्त हैं, E zee footwear का मामला लेते हैं, जो कि दो प्रकार की हवाई चप्पलों और अन्य सैन्डल्स और जूतों की पाँच वैराइटीज का निर्माण करते हैं। फुटवीयर्स के निर्माण में रंगों का प्रयोग किया जाता है, यद्यपि चमकीला गुलाबी रंग केवल एक हवाई वैराइटी में प्रयोग किया जाता है और काले रंग का प्रयोग केवल सैन्डल्स और जूतों में किया जाता है। परन्तु पीला रंग सभी वैराइटीज में प्रयोग किया जाता है। ब्राउन रंग का प्रयोग गैर व्यावसायिक उद्देश्यों में होता है।

माह के दौरान आन्तरिक पूर्तियाँ—

ब्राउन रंग पर इनपुट टैक्स : ₹ 10,000 (यह T<sub>1</sub> है)

चमकीले गुलाबी पर इनपुट टैक्स : ₹ 90,000 (यह T<sub>2</sub> है)

काले रंग पर इनपुट टैक्स : ₹ 40,000 (यह T<sub>4</sub> है)

नीले रंग पर इनपुट टैक्स : ₹ 1,00,000

पीले रंग पर इनपुट टैक्स : ₹ 15,000

कुल इनपुट टैक्स ₹ 2,55,000 (यह T है)

इसमें से (T<sub>1</sub> + T<sub>2</sub> + T<sub>4</sub> अर्थात् ₹ 1,40,000 इनपुट टैक्स घटाकर, वास्तविक कुल इनपुट टैक्स ₹ 1,15,000 होगा

कॉमन क्रेडिट की राशि (C<sub>2</sub>) ₹ 1,15,000 है। इसका विभाजन अगले चरण-2 में दिया गया है।

**चरण-2. कॉमन क्रेडिट के विभाजन द्वारा कर मुक्त पूर्तियाँ (अमान्य क्रेडिट) सम्बन्धी क्रेडिट की गणना**

C<sub>2</sub> में से कर मुक्त पूर्तियों सम्बन्धी क्रेडिट D<sub>1</sub> को घटाकर राशि की गणना निम्न प्रकार की जायेगी :

$$[D_1 = (E/F) \times C_2]$$

यहाँ,

E = करावधि में कुल कर योग्य पूर्तियों की राशि

F = करावधि में राज्य स्तरीय कुल बिक्री

**नोट्स :** (i) यदि कर योग्य व्यक्ति की उपरोक्त करावधि में कोई बिक्री नहीं है, अथवा उपरोक्त सूचना उपलब्ध नहीं है, पिछली करावधि का मूल्य प्रयोग किया जा सकता है।

(ii) यहाँ, कर मुक्त आपूर्ति सम्मिलित करता है आपूर्ति जहाँ रिवर्स चार्ज पर कर लगाया जाए, प्रतिभूतियों में लेन-देन (transactions in securities), जमीन की बिक्री, तथा भवन की बिक्री जब पूरा मुआवजा प्राप्त हो गया हो सक्षम प्राधिकारी द्वारा समापन प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद या उसके पहले कब्जे के बाद, जो भी पहले हो। यथा, ITC जो आपूर्ति से सम्बन्धित हो वह वापस किया जाएगा।

(iii) यहाँ, करमुक्ति आपूर्ति वर्जित करता है—

- (a) **Transactions/activities specified in Schedule III except sale of land and sale of building as specified in point (ii) above.**

- (b) सेवाओं की आपूर्ति जमा स्वीकार, ऋण बढ़ाना या उधार बढ़ाने के रूप में जहाँ मुआवजा ब्याज या छूट हो। परन्तु सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य कर मुक्त आपूर्ति में सम्मिलित है जब वही बैंकिंग कम्पनी या वित्तीय संस्थान NBFC सहित उपलब्ध कराया गया है।
- (c) माल को जहाज द्वारा भारत के सीमा शुल्क स्टेशन (Customs station of clearance) से भारत के बाहर पहुँचाना।  
यथा, ITC जो आपूर्ति से सम्बन्धित हो वह वापस नहीं किया जाएगा।
- (iv) करमुक्त आपूर्तियों एवं कुल आवर्त का संयुक्त मूल्य, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय बिक्री कर तथा VAY को बाहर रखता है।
- (v) भूमि एवं भवन के सन्दर्भ में करमुक्त आपूर्ति का मूल्य, स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए अपनायी गई कीमत एवं प्रतिभूतियों के लिए ऐसी प्रतिभूतियों के बिक्री मूल्य का 1% है।

राज्य स्तरीय उत्पाद शुल्क मादक शराब, अफीम, भारतीय भांग, और नशीले पदार्थों के निर्माण उत्पादन पर उद्ग्रहणीय है और (iii) पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, हवाई ईंधन और मादक शराब पर राज्यस्तरीय वेट उद्ग्रहणीय है। कच्चा पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, ATF, प्राकृतिक गैस वर्तमान में GST के अधीन कर योग्य नहीं है और मादक शराब GST के क्षेत्र से बाहर है। इस प्रकार इन दोनों उत्पादों की पूर्ति (पेट्रोलियम उत्पाद और मादक शराब) GST के अधीन कर योग्य नहीं हैं, धारा 2(47) के अधीन करमुक्त पूर्तियाँ हैं और करों/शुल्कों जो उन पर लागू है उन्हें क्रेडिट के विभाजन के उद्देश्य के लिये घटा दिया जायेगा।

#### कॉमन क्रेडिट से विमुक्त पूर्तियों सम्बन्धी क्रेडिट के विभाजन का उदाहरण

ईजी फुटवीयर, हवाई चप्पल की दो वैराइटी और कर योग्य जूते और सैन्डल्स की पाँच वैराइटी बनाते हैं, अक्टूबर माह में ₹ 1,15,000 के बिक्री पर कॉमन क्रेडिट का विभाजन किया जाता है।

हवाई 1 और 2 का विक्रय/बिक्री = ₹ 3 करोड़ (यह 'E' है)

सभी कर योग्य जूतों/सैन्डल्स का बिक्री = ₹ 2 करोड़

माह में फुटवीयर की कुल बिक्री = ₹ 5 करोड़ (यह 'F' है)

गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये कोई इनपुट्स/इनपुट सेवाओं का उपयोग नहीं किया गया है।

$(3,00,00,000/5,00,00,000) \times 1,15,000 = 69,000$  की राशि कर मुक्त पूर्ति से सम्बन्धित क्रेडिट की राशि ( $D_1$ ) है।

गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये प्रयुक्त क्रेडिट  $D_2$  की गणना इस प्रकार की जायेगी :

$$[D_2 = 5\% \times C_2 \text{ (कॉमन क्रेडिट)}]$$

**चरण-3 मान्य क्रेडिट की गणना (Step 3 : Computes Eligible Credits)—**

व्यावसायिक उद्देश्यों और कर योग्य पूर्तियों (शून्य दर पूर्तियों सहित) सम्बन्धी  $C_3$  क्रेडिट की गणना निम्न प्रकार की जायेगी :

$$[C_3 = C_2 - (C_1 + D_2)]$$

**चरण-4 अमान्य क्रेडिट को प्रतिबंधित करना (Step 4 : Restrict ineligible credit)—**

आउटपुट टैक्स दायित्व में  $D_1 + D_2$  जोड़ दिया जायेगा।

- ❖ CGST / SGST / UTGST और IGST सम्बन्धी ITC को पृथक करके  $C_3$  की गणना
- ❖  $\Sigma(D_1 + D_2)$  की गणना पूरे वित्त वर्ष के लिये करें, जिसके लिये विमुक्त बिक्री और सकल बिक्री सम्पूर्ण वित्त वर्ष के लिये गणना करें, यह भी अगले वित्त वर्ष के सितम्बर माह की विवरणी की देय तिथि से पूर्व करें।
- ❖ यदि  $\Sigma(D_1 + D_2) >$  प्रतिमाह आउटपुट दायित्व की पूर्ववर्ती राशि का योग, अन्त राशि को आउटपुट टैक्स दायित्व में जोड़ा जायेगा और ऐसी अन्तरराशि पर 18% वार्षिक की दर से अगले वित्त वर्ष से 1 अप्रैल से भुगतान की तिथि तक, ब्याज भी भुगतान किया जायेगा।
- ❖ प्रतिमाह आउटपुट दायित्व में जोड़ी गयी राशि  $> \Sigma (D_1 + D_2)$  अतिरिक्त चुकता राशि की वापसी का दावा अगले वित्त वर्ष के सितम्बर तक करना होगा।

## II. पूँजीगत माल पर क्रेडिट के विभाजन की कार्यप्रणाली और उसकी वापसी [CGST नियमावली का नियम-43] Methodology of apportionment of credit of capital goods and reversal there of [Rule 43 of the CGST Rules]

CGST नियमावली के नियम 43 के अधीन पूँजीगत माल पर ITC के विभाजन और अमान्य क्रेडिट की वापसी सम्बन्धी कार्यप्रणाली निम्न प्रकार है:

**चरण-1—पूँजीगत माल सम्बन्धी कॉमन क्रेडिट I का निर्धारण इस प्रकार है :**

- (i) अनन्य रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्यों और कर मुक्त पूर्तियों में प्रयुक्त या प्रयोजनीय पूँजीगत माल पर इनपुट टैक्स को चिह्नित करें और उसकी GSTR-2 में घोषित करें। ऐसी राशि को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।
- (ii) अनन्य रूप से कर योग्य पूर्तियों, शून्य दर पूर्ति सहित में प्रयुक्त/प्रयोजनीय पूँजीगत माल सम्बन्धी इनपुट टैक्स चिह्नित करें और इसकी घोषणा GSTR-2 में करें। ऐसी राशि को ई. क्रेडिट लेजर में जोड़ा जायेगा।
- (iii) उपर्युक्त (i) और (ii) में नहीं शामिल पूँजीगत माल पर इनपुट टैक्स (कर योग्य के साथ विमुक्त पूर्तियों और व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये कॉमन प्रयुक्त/प्रयोजनीय पूँजीगत माल) को चिह्नित करें और उसे 'A' नाम दें। ऐसी राशि ई. क्रेडिट लेजर में क्रेडिट की जायेगी। ऐसे पूँजीगत माल का उपयोगी जीवन बीजक की तिथि से 5 वर्ष लिया जायेगा।
- (iv) गैर व्यावसायिक उद्देश्यों/विमुक्त पूर्तियों में अनन्य उपयोग में परिवर्तन कॉमन उपयोग में करने पर: पूँजीगत माल जो पहले (i) में शामिल थे तत्पश्चात (iii) के

अधीन आ जाते हैं, इसके लिये 'A' की गणना से 5% प्रति तिमाही की दर से उसमें कटौती करें। ऐसी घटी हुई राशि ई. क्रेडिट लेजर में प्रविष्ट की जायेगी।

- (v) उसके साथ 'A' की राशि को जोड़ें जो कि ई. क्रेडिट लेजर में जोड़ी गयी थी, दूसरे कॉमन क्रेडिट 'T<sub>c</sub>' प्राप्त होगी।
- (vi) अनन्य रूप से कर योग्य उपयोग शून्य दर पूर्ति सहित का कॉमन उपयोग में परिवर्तन: ऐसे पूँजीगत माल जो पहले (ii) के अधीन थे, बाद में (iii) में शामिल हो गये हैं, 'A' की गणना के लिये ITC से प्रति तिमाही या उसके भाग के लिये 5% राशि घटा दें और उसे T<sub>c</sub> में जोड़ें।

**चरण-2 किसी करावधि में पूँजीगत माल के उपयोगी जीवनकाल में कॉमन क्रेडिट का निर्धारण और उसकी 'T<sub>m</sub>' रूपी प्रस्तुति**

$$[T_m = T_c \div 60]$$

**चरण-3 किसी करावधि के प्रारम्भ में ऐसे सभी पूँजीगत माल की कॉमन क्रेडिट का निर्धारण, जिनका उपयोगी जीवन इस करावधि में शेष है :**

$$T_r = T_m \text{ ऐसे पूँजीगत माल सम्बन्धी}$$

**चरण-4 कर मुक्त पूर्तियों सम्बन्धी कॉमन क्रेडिट का विभाजन**

यहाँ;

$$[T_e = (E \div F) \times T_r]$$

E = करावधि में कर मुक्त पूर्तियों का सकल मूल्य

F = करावधि राज्य में कुल बिक्री

**नोट्स :**

- (i) यदि कर योग्य व्यक्ति का करावधि में कोई बिक्री नहीं है अथवा यह सूचना उपलब्ध नहीं है तो पिछली करावधि के मूल्यों का उपयोग किया जा सकता है।
- (ii) यहाँ कर मुक्त पूर्तियों में प्रतिलोमी प्रभार के अधीन कर योग्य पूर्तियाँ प्रतिभूतियों में व्यवहार, भूमि का विक्रय और ऐसे भवन का विक्रय जिसका सम्पूर्ण प्रतिफल सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गमन के पश्चात, प्राप्त हुआ है, शामिल होते हैं।
- (iii) यहाँ, करमुक्त आपूर्ति में सम्मिलित नहीं करता है—
  - (a) उपरोक्त बिन्दु (ii) में निर्दिष्ट भूमि की बिक्री और भवन की बिक्री को छोड़कर अनुसूची (iii) में निर्दिष्ट लेन-देन गतिविधियाँ।
  - (b) सेवाओं की आपूर्ति जमा स्वीकार, ऋण बढ़ाना या उधार बढ़ाने के रूप में जहाँ, मुआवजा ब्याज या छूट हो। परन्तु सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य कर मुक्त आपूर्तियों में सम्मिलित है जब वही बैंकिंग कम्पनी या वित्तीय संस्थान NBFC सहित उपलब्ध कराया गया हो।
  - (c) माल को जहाज द्वारा माल के सीमा शुल्क स्टेशन से भारत के बाहर पहुँचाना तथा ITC जो आपूर्ति से सम्बन्धित हो वह वापस नहीं किया जाएगा।  
यथा ITC जो ऐसी आपूर्ति से सम्बन्धित है उसे रिवर्स करना होगा।

- (iv) कर मुक्त पूर्तियों का सकल मूल्य और कुल बिक्री में केन्द्रीय उत्पाद कर, राज्य आबकारी तथा केन्द्रीय बिक्री कर और VAT शामिल नहीं होंगे।
- (v) Te की राशि CGST, SGST, UTGST और IGST के लिये पृथक्-पृथक् संगणित की जायेगी तथा GSTR-3B में घोषित होगी।
- (vi) भूमि एवं भवन के सन्दर्भ में करमुक्त आपूर्ति का मूल्य, स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए अपनाया गया मूल्य एवं प्रतिभूतियों के लिए ऐसी प्रतिभूतियों के बिक्री मूल्य का 1% है।

#### चरण : 5 उपयुक्त क्रेडिट को रोकना

आउट टैक्स दायित्व के साथ Te को उस पर लागू ब्याज, सम्बन्धित पूँजीगत माल का उपयोगी प्रत्येक करावधि के लिये, संगणित की जायेगी।

#### (iii) बैंक आदि के लिये वैकल्पिक प्रणाली [धारा 17 (4) के साथ नियम 38 पढ़ें] Optional Method for Banks etc. [Section 17(4) read with rule 38]

- ❖ उपर्युक्त प्रणाली के विकल्प के रूप में, कोई बैंकिंग कम्पनी या वित्तीय संस्थान, NBFC सहित, जो जमा स्वीकारते हैं, या ऋण/अग्रिम प्रदान करते हैं उन्हें यह विकल्प प्राप्त है कि वे इनपुट्स, पूँजीगत माल, इनपुट सेवाओं पर प्रतिमाह ग्राह्य ITC का 50% तक उपयोग करें और शेष समाप्त हो जाने दें।
- ❖ गैर व्यावसायिक उद्देश्यों और धारा 17 (5) में वर्णित मदों के सम्बन्ध में प्रयुक्त इनपुट्स और इनपुट सेवाओं पर चुकता कर [ब्लॉकड क्रेडिट्स] का क्रेडिट उपलब्ध नहीं है।
- ❖ 50% ITC उपयोग का प्रतिबन्ध, ऐसी पूर्तियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें ऐसे पंजीकरण से प्राप्त किया गया है, जो उसी निकाय (PAN) के अधीन हैं, अर्थात् ऐसे मामले में 100% क्रेडिट स्वीकृत है।
- ❖ विकल्प एक बार प्रयोग करने पर उस वित्त वर्ष में वापस नहीं लिया जा सकता है।

#### B. ब्लॉकड क्रेडिट्स [धारा 17 (5)] Blocked Credits [Section 17(5)]

कर योग्य माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियों में प्रयुक्त इनपुट्स और इनपुट सेवाओं पर चुकता कर का ITC लगभग GST में स्वीकृत है, धारा 17 (5) में प्रदत्त कुछ मदों की छोटी सूची को छोड़कर। इस नकारात्मक सूची में मुख्यतः व्यक्तिगत उपभोग, अचल सम्पत्ति (प्लाण्ट और मशीनरी को छोड़कर) दूर संचार टावर्स, पाइप लाइनों आदि के निर्माण में प्रयुक्त इनपुट, और करवंचना की खोज के परिणामस्वरूप चुकता करों का उल्लेख है। नीचे विस्तृत सूची दी जा रही है :

#### (i) मोटर वाहन और अन्य वाहन और सम्बन्धित सेवाएं (बीमा, शोधन और मरम्मत और रख-रखाव)

मोटर वाहनों और अन्य वाहनों को सी जी एस टी अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है। शीर्षक प्रासंगिक परिभाषाओं के अन्तर्गत परिभाषा देखें। मोटर वाहनों के अन्तर्गत नहीं आते।

- तय पटरियों पर चलने वाले वाहन।

- किसी कारखाने या किसी संलग्न परिसर में उपयोग किए जाने के लिए विशेष उद्देश्य के वाहन।
- 25CC तक की इंजन क्षमता वाले 4 पहियों से कम वाले वाहन (इस प्रकार रेलवे, 25cc तक की इंजन क्षमता वाले दो/तीन पहिया वाहन, साईकिल आदि मोटर वाहन की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते।)

मोटे तौर पर आईटीसी को कुछ अपवादों के साथ यात्री परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले मोटर वाहनों जहाजों और विमानों पर से प्रतिबन्धित किया जाता है। आगे, मोटर वाहनों, जलयानों और विमानों अर्थात् बीमा शोधन और मरम्मत और रख-रखाव से सम्बन्धित कुछ सेवाओं पर भी आईटीसी को प्रतिबन्धित किया है। यहाँ मूल सिद्धान्त यह है कि मोटर वाहनों, विमानों और जलयानों जिन पर आईटीसी को रोका गया है। ऐसे मोटर वाहनों जलयानों और विमानों से सम्बन्धित सेवाओं जैसे, शोधन मरम्मत और रख-रखाव बीमा सेवाओं पर भी आईटीसी को प्रतिबंधित किया गया है।

मोटर वाहनों, जलयानों, विमानों और सम्बन्धित सेवाओं सम्बन्धित प्रतिबंध क्रेडिट पर यहाँ चर्चा की गयी है।

क्र.	माल और/या सेवाएँ जिन पर क्रेडिट प्रतिबंधित है	कॉलम 2 में उल्लेखित माल और/या सेवाओं के अपवाद जिन पर क्रेडिट की अनुमति है	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
(i)	यात्री परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले मोटर वाहन तथा 13 व्यक्तियों (चालक सहित) के बैठने की क्षमता वाले मोटर वाहन। इस तालिका में अयोग्य मोटर वाहन के रूप में जाना जाता है।	अयोग्य मोटर वाहन जब निम्नलिखित किसी योग्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं : <ul style="list-style-type: none"> <li>• ऐसे मोटर वाहनों की आगे कर योग्य आपूर्ति करना;</li> <li>• यात्री परिवहन की कर योग्य आपूर्ति करना;</li> <li>• ऐसे मोटर वाहनों को चलाने का प्रशिक्षण देने की कर योग्य आपूर्ति करना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• योग्य उद्देश्यों के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले अयोग्य मोटर वाहनों पर आईटीसी की अनुमति नहीं है।</li> <li>• यात्री परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले मोटर वाहन तथा 13 व्यक्तियों (चालक सहित) से अधिक की बैठने की क्षमता वाले मोटर वाहन किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं उन पर आईटीसी की अनुमति है।</li> <li>• किसी भी उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने</li> </ul>

			वाले मोटर वाहन अयोग्य मोटर वाहनों के अलावा, पर आईटीसी की स्वीकृति दी गयी है। (उदाहरण जैसे माल डंपर टियर आदि के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोटरवाहन आदि)
(ii)	जलयानों और विमानों	जलयानों और विमानों को जब किसी भी निम्नलिखित योग्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है : <ul style="list-style-type: none"> <li>• ऐसे जलयानों या विमानों की आगे कर योग्य आपूर्ति करना;</li> <li>• यात्री परिवहन की कर योग्य आपूर्ति करना;</li> <li>• ऐसे जलयानों को चलाने का प्रशिक्षण देने की कर योग्य आपूर्ति करना;</li> <li>• ऐसे विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण देने की कर योग्य आपूर्ति करना;</li> <li>• माल का परिवहन।</li> </ul>	योग्य उद्देश्यों के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले जलयानों और विमानों पर आईटीसी।
(iii)	सामान्य बीमा, शोधन, मरम्मत और रख-रखाव से सम्बन्धित : <ul style="list-style-type: none"> <li>• अयोग्य मोटर वाहनों</li> <li>• जलयानों</li> <li>• विमानों</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ऐसी सेवाएँ जो अयोग्य मोटर वाहनों जलयानों या विमानों से सम्बन्धित जब योग्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाती है।</li> <li>• ऐसी सेवाएँ जब प्राप्त की जाती हैं : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ अयोग्य मोटर वाहनों, जलयानों या विमानों के</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• मोटर वाहनों, जलयानों या विमानों से सम्बन्धित सामान्य बीमा, शोधन, मरम्मत और रख-रखाव की सेवाओं पर आईटीसी की अनुमति नहीं है जिस पर आईटीसी की अनुमति नहीं है।</li> <li>• मोटर वाहनों, जलयानों या विमानों</li> </ul>

		<p>उत्पादक द्वारा या</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ उसके द्वारा बीमा किए गए अयोग्य मोटरवाहनों जलयानों या विमानों से सम्बन्धित सामान्य बीमा सेवाओं के आपूर्तिकर्ता</li> </ul>	<p>से सम्बन्धित सामान्य बीमा, शोधन, मरम्मत और रख-रखाव की सेवाओं पर आईटीसी की अनुमति है जिस पर आईटीसी की अनुमति है।</p>
(iv)	<p>मोटर वाहनों, जलयानों या विमान को किराए, पट्टे पर लेने या भाड़े पर रखने जिस पर आईटीसी की अनुमति नहीं है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ऐसी सेवाओं का उपयोग जब कर योग्य समग्र या मिश्रित आपूर्ति के तत्व के रूप में या सेवाओं के एक ही श्रेणी के एक बाहरी कर योग्य आपूर्ति करने के लिए किया जाता है।</li> <li>• ऐसी सेवाएँ जो एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को एक वैधानिक दायित्व के अन्तर्गत दी जाती है।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• मोटर वाहनों, जलयानों या विमान को किराए, पट्टे पर लेने या भाड़े पर रखने जो कि आईटीसी की अनुमति नहीं है की भी अनुमति है।</li> <li>• उप-सेवा के मामले में ऐसी सेवाओं पर आईटीसी की अनुमति है यानी जब करदाता द्वारा ऐसी सेवाओं का उपयोग किया जाता है, जो व्यवसाय की एक ही पंक्ति में है।</li> </ul>



- (1) एक उत्पादक कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों के कार्यालय प्रयोग के लिए खरीदी गयी कारों पर आईटीसी प्रतिबंधित है।
- (2) अपने ग्राहक को बेचने के लिए कार वितरक द्वारा खरीदी गयी कार पर आईटीसी की अनुमति है।
- (3) यात्रियों के परिवहन के लिए कारों को किराए पर देने वाली कम्पनी द्वारा खरीदी गई कारों पर आईटीसी की अनुमति है।
- (4) कार प्रशिक्षण विद्यालय द्वारा खरीदी गयी कारों पर आईटीसी की अनुमति है।
- (5) कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों को उनके निवास स्थान से कार्यालय और वापस परिवहन के लिए खरीदी गई बसों (24 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता) पर आईटीसी की अनुमति है।
- (6) किसी कम्पनी द्वारा अपने तैयार माल के परिवहन के लिए खरीदे गये ट्रक पर आईटीसी की अनुमति है।

- (7) उत्पादक कम्पनी द्वारा अपने सी.ई.ओ के कार्यालय प्रयोग के लिए खरीदे गए विमान पर आईटीसी की अनुमति प्रतिबन्धित है।
- (8) एवियेसन विद्यालय द्वारा विमान को उड़ाने का प्रशिक्षण देने के लिए खरीदे गये विमान पर आई.टी.सी. अनुमति है।
- (9) उत्पादन कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा कार्यालय उद्देश्य से प्रयोग की जाने वाली कार्य पर लिए गए सामान्य बीमा पर आई.सी.टी प्रतिबन्धित है।
- (10) एक कम्पनी द्वारा अपने तैयार माल के परिवहन के लिए प्रयोग किए जानेवाले ट्रक पर ली गयी रख-रखाव और मरम्मत सेवाओं पर आई.टी.सी की अनुमति है।
- (11) कार उत्पादक कम्पनी द्वारा उत्पादन की गई कारों पर ली गई सामान्य बीमा सेवाओं पर आई.सी.टी की अनुमति है।

(ii) भोजन और पेय पदार्थ, बाहरी खानपान, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सेवाएँ।

क्रमांक	माल और/या सेवाएँ जिन पर क्रेडिट प्रतिबन्धित है	कॉलम 2 उल्लेखित माल और सेवाएँ के अपवाद जिन पर क्रेडिट की अनुमति है	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
(i)	<ul style="list-style-type: none"> <li>भोजन और पेय पदार्थ।</li> <li>बाहरी खानपान।</li> <li>सौन्दर्य उपचार।</li> <li>स्वास्थ्य सेवाएँ।</li> <li>सौन्दर्य प्रसाधन और प्लास्टिक शल्य चिकित्सा।</li> <li>जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ऐसे माल और/या सेवाओं का प्रयोग जब पंजीकृत व्यक्ति द्वारा एक ही श्रेणी के माल/और/या सेवाओं के एक बाहरी कर योग्य आपूर्ति या कर योग्य, समग्र या मिश्रित आपूर्ति के तत्व के रूप में किया जाता है।</li> <li>ऐसे माल और/या सेवाएँ जो एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को एक वैधानिक दायित्व के अन्तर्गत दी जाती है।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>उप अनुबंध के मामले में ऐसे माल और सेवाओं पर आईटीसी की अनुमति है अर्थात् जब ऐसे माल तथा सेवाओं का प्रयोग ऐसे करदाता द्वारा किया जाता है जो कि एक ही पंक्ति के व्यवसाय में है उदाहरण : अन्य बाहरी कैटरर द्वारा ली गयी बाहरी खानपान सेवाएँ।</li> <li>जब ऐसी माल और या सेवाएँ नियोक्ता द्वारा</li> </ul>

			अपने कर्मचारियों के बिना किसी वैधानिक दायित्व के अन्तर्गत दी जाती है, तो उन पर आईटीसी प्रतिबन्धित होता है।
(ii)	क्लब की सदस्यता स्वास्थ्य और अनुकूलता केन्द्र।	<ul style="list-style-type: none"> <li>ऐसी सेवाएँ जो एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों के वैधानिक दायित्व के अन्तर्गत दी जाती हैं।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>जब ऐसे माल और/या सेवाएँ नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को बिना किसी वैधानिक दायित्व के अन्तर्गत दी जाती हैं, उन पर आई.टी.सी प्रतिबन्धित है।</li> </ul>
(iii)	छुट्टी या घर यात्रा रियायत जैसे अवकाश पर कर्मचारियों के लिए विस्तारित यात्रा लाभ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>ऐसी सेवाएँ जो एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों के वैधानिक दायित्व के अन्तर्गत दी जाती हैं।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>जब ऐसे माल और/या सेवाएँ नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को बिना किसी वैधानिक दायित्व के अन्तर्गत दी जाती हैं, उन पर आई.टी.सी प्रतिबन्धित है।</li> </ul>



(1) एक उत्पादन कम्पनी अपने ग्राहकों मुफ्त में दी जाने वाली खाद्य सामग्री खरीदती है। ऐसे माल पर आई.टी.सी. प्रतिबन्धित किया गया है।

(2) अमृतसर के एक कैटर ए.बी. एण्ड कम्पनी को लुधियाना में होने वाली शादी में खान-पान का ठेका दिया गया है। फर्म ने स्नेक्स के आपूर्ति का ठेका लुधियाना के स्थानीय कैटर सी.डी. एण्ड सन्स को शादी में परोसने के लिए दिया है। ए.बी. एण्ड कम्पनी द्वारा प्राप्त ऐसी बाहरी खान-पान की सेवाओं पर आई.टी.सी की अनुमति है।

(3) अपने भावी ग्राहकों के लिए आयोजित एक विपणन कार्यक्रम के लिए परिधान निर्यातक द्वारा प्राप्त बाहरी खान-पान सेवाओं पर आई.टी.सी प्रतिबन्धित है।

(4) एक कम्पनी द्वारा अपने कारखाने में मुफ्त केन्टीन चलाने के लिए बाहरी खान-पान सेवाओं का लाभ उठाया जाता है। फैक्टरी एक्ट 1948 के अनुसार

कम्पनी को अपने कारखाने में केन्टीन स्थापित करने की आवश्यकता होती है। ऐसे बाहरी खान-पान पर आई.टी.सी. की अनुमति है।

(5) एक कम्पनी के प्रबन्ध निदेशन द्वारा ली गई क्लब की सदस्यता जिसका शुल्क कम्पनी द्वारा दिया जाता है। ऐसी सेवाओं पर आई.टी.सी. प्रतिबन्धित है।

(6) एक कम्पनी अपने शीर्ष प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के लिए एक मुफ्त अवकाश के आयोजन के लिए ट्रेवल एजेंसी की सेवाओं का लाभ उठाती है। ऐसी सेवाओं पर आई.टी.सी. प्रतिबन्धित है।

(iii) **अचल सम्पत्ति के निर्माण के लिए अनुबन्ध सेवाओं [धारा 17(5) का खण्ड (c)]**

निर्माण अनुबन्ध को सी.जी.एस.टी अधिनियम में परिभाषित किया गया है। शीर्ष प्रासंगिक परिभाषा के तहत परिभाषा देखें। अनिवार्य रूप से काम अनुबन्ध माल और सेवाओं दोनों को मिलाकर एक समग्र आपूर्ति है। तत्कालीन अधिनियमों के तहत कार्य अनुबन्ध की परिभाषा में चल और अचल दोनों सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कार्य शामिल थे। हालांकि जी.एस.टी कानून के तहत काम अनुबन्ध के दायरों को अचल सम्पत्ति तक सीमित रखा गया है।

**अचल सम्पत्ति का अर्थ :**

जी.एस.टी कानून के तहत अचल सम्पत्ति को परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए, हमें अन्य कानूनों में अचल सम्पत्ति की परिभाषा की तलाश करनी होगी। साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 3(26) में अचल सम्पत्ति को परिभाषित किया गया है। जिसमें जमीन, जमीन से उत्पन्न होने वाले लाभ और पृथ्वी से जुड़ी चीजें शामिल हैं, या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज के लिए उपवास किया गया है।

शब्द "पृथ्वी से जुड़ा हुआ" को सम्पत्ति अधिनियम, 1882 के हस्तांतरण की धारा 3 में परिभाषित किया गया है।

- (a) पृथ्वी में निहित, जैसा कि पेड़ों और झाड़ियों के मामले में [हालांकि, सम्पत्ति अंतरण अधिनियम के तहत शब्द "अचल सम्पत्ति" खड़ी लकड़ी, बढ़ती फसलों या घास को शामिल नहीं करता है।]
- (b) पृथ्वी में जुड़ा हुआ है, जैसा कि दीवारों या इमारतों के मामले में।
- (c) उसके स्थायी लाभकारी आनंद के लिए जो जुड़ा हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है।

जी.एस.टी. कानून के तहत, कार्य अनुबन्ध की एक समग्र आपूर्ति को सी.जी.एस.टी. अधिनियम की अनुसूची II के पैरा 6(a) के सन्दर्भ में सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाता है। अचल सम्पत्ति के निर्माण के लिए कार्य अनुबन्ध सेवाओं पर आईटीसी अवरुद्ध है। सिवाय जब

➤ कार्य अनुबन्ध सेवा (उप-अनुबन्ध) की आगे की आपूर्ति के लिए एक इनपुट सेवा है।

(कार्य अनुबन्ध सेवा पर आईटीसी का लाभ केवल उस करदाता के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो व्यवसाय की एक ही पंक्ति में है,

अर्थात् केवल एक ठेकेदार द्वारा प्राप्त किए गए कार्य अनुबन्ध सेवाओं पर आईटीसी लाभ उठाया जा सकता है।)

- संयंत्र और मशीनरी अचल सम्पत्ति है।  
(संयंत्र और मशीनरी स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़े हुए एक अचल सम्पत्ति होती है। हालांकि, ऐसे संयंत्र और मशीनरी के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली अनुबंध सेवाओं पर अपवाद के रूप में आईटीसी की अनुमति है।)

#### निर्माण का अर्थ :

“निर्माण” में पुनःनिर्माण, नवीकरण, जोड़ना या परिवर्तन या मरम्मत शामिल है जो कि उक्त अचल सम्पत्ति की पूंजीकरण की सीमा तक है।

इस प्रकार, यदि पुनःनिर्माण, नवीनीकरण, जोड़ना या परिवर्तन या मरम्मत को पूंजीकरण नहीं किया जाता है, तो यह जीएसटी कानून के अन्तर्गत निर्माण नहीं माना जाएगा। इसके फलस्वरूप, ऐसे निर्माण जो कि पूंजीकृत नहीं हैं। हेतु कार्य अनुबन्ध सेवाओं पर प्राप्त की गई आईटीसी चाहे वह किसी अचल सम्पत्ति के लिए हो या किसी संयंत्र और मशीनरी के लिए, सभी प्राप्तकर्ताओं को व्यापार की उनकी रेखा के बावजूद अनुमति दी जाएगी।

#### संयंत्र और मशीनरी का अर्थ

संयंत्र और मशीनरी का अर्थ है, नींव या संरचनात्मक समर्थन द्वारा पृथ्वी पर नियत तंत्र उपकरण और मशीनरी जो वस्तुओं और सेवाओं की बाहरी आपूर्ति करने के लिए उपयोग की जाती है और इस तरह की नींव या संरचनात्मक समर्थन शामिल है।

#### लेकिन शामिल नहीं करता

भूमि, भवन या अन्य नागरिक ढांचे दूरसंचार टावर और कारखाने परिसर के बाहर रखी पाइप लाइनें।

इस प्रकार, योग्य संयंत्र और मशीनरी के निर्माण हेतु कार्य अनुबन्ध सेवाओं पर प्राप्त की गयी आईटीसी ऐसे प्राप्तकर्ता के व्यवसाय की परवाह किए बिना प्राप्तकर्ता को अनुमति दी जाती है।



उदाहरण के लिए, एक आधार द्वारा पृथ्वी पर तय की गई मशीनरी के निर्माण के लिए कार्य अनुबंध सेवाओं पर प्राप्त की गई आईटीसी की अनुमति दी जाएगी। हालांकि दूरसंचार टावरों के निर्माण के लिए कार्य अनुबंध सेवाओं पर आईटीसी को प्रतिबंधित किया जाएगा। अचल सम्पत्तियों के निर्माण के लिए कार्य अनुबंध सेवाओं पर आईटीसी केवल तीन स्थितियों में उपलब्ध है :

- (i) जब कार्य अनुबंध सेवा का उपयोग कार्य अनुबंध सेवा प्रदान करने के लिए एक कार्य ठेकेदार द्वारा किया जाता है।
- (ii) संयंत्र और मशीनरी के निर्माण के लिए। इस मामले में, आईटीसी की अनुमति सभी प्राप्तकर्ताओं को उनके व्यवसाय की रेखा के बावजूद दी जाती है।

(iii) जब कार्य अनुबन्ध सेवा के मूल्य का पूंजीकरण न किया हो। इस मामले में, आईटीसी को अपने व्यवसाय की रेखा के बावजूद सभी प्राप्तकर्ताओं को अनुमति दी जाती है।



- (1) अपने कार्यालय के निर्माण के लिए एक सॉफ्टवेयर कम्पनी द्वारा कार्य अनुबंध सेवाओं पर प्राप्त की गई आईटीसी अवरुद्ध है।
- (2) नोएडा के एक काम ठेकेदार सीडी एण्ड कम्पनी को लखनऊ में एक वाणिज्यिक परिसर के निर्माण के लिए एक अनुबंध दिया गया है। फर्म ईएफ एण्ड कम्पनी की सेवाओं का लाभ परिसर के निर्माण हेतु उठाता है, जो लखनऊ में एक स्थनीय ठेकेदार का काम करता है। इस तरह के कार्यों पर सीडीसी और कम्पनी द्वारा प्राप्त की जानेवाली कार्य अनुबंध सेवाओं पर आईटीसी की अनुमति है।
- (3) एक ठेका निर्माण के लिए एक ऑटोमोबाइल कम्पनी द्वारा प्राप्त कार्य अनुबंध सेवाओं पर आईटीसी, जिस पर एक मशीनरी (उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली) को स्थायी रूप से जोड़ा जाना है, की अनुमति है।
- (4) एक निर्माण कम्पनी द्वारा अपने कारखाने के बाहर बिछाई जाने वाली पाइपलाइनों के निर्माण के लिए काम अनुबंध सेवाओं पर आईटीसी अवरुद्ध है।
- (5) एक परामर्श फर्म ने अपने कार्यालय भवन की मरम्मत के लिए एक कार्य ठेकेदार की सेवाओं का लाभ उठाया है। कम्पनी ने इसी तरह के खर्चों को अपने लाभ और हानि खाते में अन्तर्गत किया है। सेवाओं पर आईटीसी की अनुमति है।
- (6) एक दूरसंचार कम्पनी ने अपने कार्यालय भवन की मरम्मत के लिए एक कार्य ठेकेदार की सेवाओं का लाभ उठाया है। कम्पनी ने इस तरह के खर्च को पूंजीगत किया है। ऐसी सेवाओं पर आईटीसी अवरुद्ध है।

**(iv) अचल सम्पत्ति का स्व-निर्माण [धारा 17(5) का खण्ड (D)]**

तो हम जानते हैं कि एक करदाता द्वारा प्राप्त कार्य अनुबंध सेवाओं पर एक कार्य ठेकेदार के अलावा, अचल सम्पत्ति (संयंत्र और मशीनरी के अलावा) के निर्माण के लिए प्राप्त आईटीसी उपलब्ध नहीं है। लेकिन क्या होता है अगर एक करदाता माल और सेवाओं की खरीद करता है और कार्य ठेकेदार की सेवाओं का लाभ लिए बिना, व्यवसाय को आगे बढ़ाने में प्रयोग होने वाली अचल सम्पत्ति का निर्माण करता है? ऐसे मामले में क्या आईटीसी की अनुमति होगी?

इसका उत्तर नहीं है। एक कर योग्य व्यक्ति अपने स्वयं के द्वारा एक अचल सम्पत्ति के निर्माण के लिए प्राप्त माल और/या सेवाओं पर आईटीसी की अनुमति नहीं है, भले ही ऐसे माल और/या सेवाओं का उपयोग व्यवसाय को आगे बढ़ाने में किया जाना है। इस प्रकार अचल सम्पत्ति के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली माल और/या सेवाओं पर आईटीसी केवल उन मामलों में अवरुद्ध होता है, जहाँ कर योग्य व्यक्ति अपने स्वयं के उपयोग के लिए अचल सम्पत्ति का निर्माण करता है, भले ही बनायी जा रही अचल सम्पत्ति को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में प्रयोग किया जाए।

कार्य अनुबंध सेवाओं के लिए शब्द 'निर्माण' और संयंत्र और मशीन पर चर्चा (रूपर वर्णित बिन्दु (iii) में) स्वयं के खाते में भी निर्माण पर लागू होती है।



अचल सम्पत्ति के निर्माण में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और/या सेवाओं पर आईटीसी केवल निम्नलिखित तीन स्थितियों में उपलब्ध है।

- (i) संयंत्र और मशीनरी के निर्माण के लिए।
- (ii) जब वस्तु और सेवाओं के मूल्य का पूंजीकरण नहीं किया जाता है।
- (iii) जब निर्माण स्वयं के खाते में नहीं है।



(1) एक कम्पनी सीमेंट, टाइल्स आदि खरीदती है और अपने कार्यालय भवन के निर्माण के लिए एक वास्तुकार की सेवाओं का लाभ उठाती है, ऐसी वस्तुओं और सेवाओं पर आईटीसी अवरुद्ध है।

(2) एमएन एण्ड कंस्ट्रक्शन सीमेंट, पेंट, लोहे की छड़ और वास्तुकार और आंतरिक साजसज्जा विशेषज्ञ की सेवाएँ अपने ग्राहकों में से एक के लिए वाणिज्यिक परिसर के निर्माण के लिए खरीद करता है। ऐसी वस्तुओं और सेवाओं पर एम एन एण्ड कम्पनी को आईटीसी की अनुमति है।

(3) एक कम्पनी सीमेंट, टाइल्स आदि खरीदती है और अपने कार्यालय भवन के नवीनीकरण के लिए एक वास्तुकार की सेवाओं का लाभ उठाती है। कम्पनी ने इस तरह के खर्च को अपने लाभ और हानि खाते में अन्तरित किया है। ऐसी वस्तुओं और सेवाओं पर आईटीसी की अनुमति है।

(4) किसी ऑटोमोबाइल कम्पनी द्वारा किसी नींव के निर्माण के लिए जिस पर मशीनरी (उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली) को स्थायी रूप से जोड़ा जाना है में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और/या सेवाओं पर आईटीसी की अनुमति है।

**(v) कम्पोजीशन लेवी के तहत कर के लिए प्रभारित आवक आपूर्ति [धारा 17(5) के खण्ड (e)]**

कम्पोजीशन स्कीम के तहत पंजीकृत एक आपूर्तिकर्ता अपने ग्राहकों से कर एकत्र नहीं कर सकता है। इस प्रकार ऐसा आपूर्तिकर्ता आपूर्ति का बिल जारी करता है न कि कर का चालान। एक कम्पोजीशन आपूर्तिकर्ता अपने त्रैमासिक टर्नओवर पर एक निर्दिष्ट दर पर एकमुश्त कर का भुगतान करता है। कम्पोजीशन स्कीम के तहत वस्तुओं और/या सेवाओं पर भुगतान किया गया कर आईटीसी के रूप में उपलब्ध नहीं है।

चूंकि एक कम्पोजीशन आपूर्तिकर्ता अपनी आपूर्ति पर अपनी आपूर्तिकर्ता के प्राप्तकर्ता से किसी तरह के कर को एकत्रित नहीं करता है, इसलिए यह स्पष्ट है कि प्राप्तकर्ता द्वारा ऐसी आपूर्ति के सम्बन्ध में किसी भी आईटीसी का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। फिर भी, धारा 17(5) (e) विशेष रूप से एक कम्पोजीशन आपूर्तिकर्ता से कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त आवक आपूर्ति पर आईटीसी को अवरुद्ध करती है।